

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 22, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2013

क्र. ई.-5-936-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस.एन. सिंह चौहान, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल को दिनांक 19 से 26 नवम्बर 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस.एन. सिंह चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एस.एन. सिंह चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.एन. सिंह चौहान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2013

क्र. एफ ए-5-35-2011-एक(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती विमला जैन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,

जबलपुर को निर्मांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

अनु. क्र.	अवकाश	कुल दिन अवधि	अवकाश	अभ्युक्ति का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दिनांक 3-10-2013 से दिनांक 11-10-2013 तक.	09 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 2-10-13 तथा पश्चात् में दिनांक 12-10-2013 से 16-10-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 3-6-2013- एक-4.— भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुरैना, भिण्ड, उज्जैन, जबलपुर तथा रीवा जिलों में संलग्न सूची अनुसार मतदान केन्द्रों पर सोमवार दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 को पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिये गये हैं.

(2) इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 नवम्बर, 2013 विधान सभा चुनाव, 2013 के अनुक्रम में मतदान के दिन उपरोक्त जिलों में पुनर्मतदान वाले मतदान केन्द्र के क्षेत्रों में निगोशिअबल इनस्ट्रुमेंट्स एक्ट 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा-25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा सोमवार दिनांक 2 दिसम्बर, 2013 को सार्वजनिक अवकाश एवं सामान्य अवकाश घोषित करता है.

मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2013 हेतु दिनांक 2 दिसम्बर, 2013 को जिन मतदान केन्द्रों पर पुनः मतदान होना है, की सूची

स.क्र.	जिले का नाम	विधान सभा क्षेत्र का क्र. व नाम	मतदान केन्द्र का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मुरैना	05-सुमावली	14-बहरारा
2	जबलपुर	101-पनागर	145-बरौदा
3	रीवा	68-सिरमौर	151-बैकुंठपुर
4	भिण्ड	11-लहार (Lahar)	182-चौरई 189-इकमिली
5	उज्जैन	217-उज्जैन दक्षिण	100-उज्जैन दशहरा मैदान.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2013

क्र. ई-5-462/आयएस-लीव-5-एक—श्री ए.पी. श्रीवास्तव, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2013 द्वारा दिनांक 11 से 25 नवम्बर 2013 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विद्या भोसले, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. एफ-1(ए) 196-1991-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 नवम्बर 2013 द्वारा श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. 123/13, दिनांक 5 नवम्बर 2013 द्वारा स्वीकृत किए गए तीन दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं दो दिवस के ऐच्छिक अवकाश के साथ पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश के लाभ के साथ कुल दिनांक 14 से 21 नवम्बर 2013 तक आठ दिवस की अवधि में खण्ड वर्ष-2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में सपरिवार गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत लक्ष्यद्वीप जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है.

(2) उक्त आदेश में त्रुटिवश अंकित अवकाश अवधि दिनांक 14 से 21 नवम्बर 2013 के स्थान पर अवधि दिनांक 14 से 21 दिसम्बर 2013 कुल आठ दिवस पढ़ी जावें. पूर्व आदेश दिनांक 26 नवम्बर 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2013

क्र. एफ-1(ए)147-1990-ब-2-दो.—(1) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 9 से 20 दिसम्बर 2013 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 8, 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 168-1989-ब-2-दो.—(1) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पवन जैन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, योजना, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 169-1989-ब-2-दो.—(1) श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 8 जनवरी 2014 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 25 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-1(ए) 265-1986-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2013 द्वारा श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश, 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत कर उनकी अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, एवं कानून व्यवस्था, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किए जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

(2) उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल की उपर्युक्त अवकाश अवधि में श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, एवं कानून व्यवस्था, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के स्थान पर श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नक्सल अभियान, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 67-47-12-तीन-1347.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् खेतिया, जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में श्री संजय-शंकर निकुम अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 8 अगस्त 2012 तक, श्री संजय-शंकर निकुम को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री संजय-शंकर निकुम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री संजय-शंकर निकुम को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 10 सितम्बर 2012 को जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र में श्री संजय-शंकर निकुम से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त

न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री संजय-शंकर निकुम को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2012 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 30 अक्टूबर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था। कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् अभ्यर्थी श्री संजय-शंकर निकुम ने अपना अभ्यावेदन (आयोग में दिनांक 3 नवम्बर 2012 को प्राप्त) राज्य निर्वाचन आयोग में प्रस्तुत किया गया। आयोग द्वारा श्री संजय-शंकर निकुम से प्राप्त अभ्यावेदन की स्वीकार्यता/ विश्वसनीय के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च 2013 के संलग्न परिशिष्ट-36 टिप्पणी में प्रतिवेदित किया कि “अभ्यर्थी श्री संजय-शंकर निकुम के विरुद्ध कारण बताओ सूचना-पत्र जारी होने के उपरांत उनके द्वारा व्यय लेख जिला निर्वाचन कार्यालय में अभ्यावेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया की उन्हें नियमों का ज्ञान नहीं होने से त्रुटि होना बताया गया।”

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री संजय-शंकर निकुम को दिनांक 22 अक्टूबर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। अभ्यर्थी श्री संजय-शंकर निकुम उक्त दिवस के एक दिन पूर्व ही दिनांक 21 अक्टूबर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुए, लेकिन निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में उनके द्वारा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री संजय-शंकर निकुम द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री संजय-शंकर निकुम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् खेतिया, जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 67-47-12-तीन-1348.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् खेतिया, जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में श्री गणपत-शंकर सोलंकी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 8 अगस्त 2012 तक, श्री गणपत-शंकर सोलंकी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री गणपत-शंकर सोलंकी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री गणपत-शंकर सोलंकी को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 10 सितम्बर 2012 को जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र में श्री गणपत-शंकर सोलंकी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते

हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री श्री गणपत-शंकर सोलंकी को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2012 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 30 अक्टूबर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था। आयोग द्वारा श्री गणपत-शंकर सोलंकी को कारण बताओ सूचना-पत्र तामिली पश्चात निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च 2013 के संलग्न परिशिष्ट-36 टिप्पणी में प्रतिवेदित किया कि अभ्यर्थी श्री गणपत-शंकर सोलंकी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र तामिली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री गणपत-शंकर सोलंकी को दिनांक 22 अक्टूबर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। अभ्यर्थी श्री गणपत-शंकर सोलंकी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जबकि अभ्यर्थी श्री गणपत-शंकर सोलंकी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 9 अक्टूबर 2013 की तामिली विहित समयावधि में दिनांक 15 अक्टूबर 2013 को कराई जा चुकी थी।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री गणपत-शंकर सोलंकी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री गणपत-शंकर सोलंकी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् खेतिया, जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 67-47-12-तीन-1349.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् खेतिया, जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में श्री रामदास-शंकरराव बोसे “पटवारी अप्पा” अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 8 अगस्त 2012 तक, श्री रामदास-शंकरराव बोसे “पटवारी अप्पा” को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री रामदास-शंकरराव बोसे “पटवारी अप्पा” द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री रामदास-शंकरराव बोसे “पटवारी अप्पा” को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 10 सितम्बर 2012 को जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र में श्री रामदास-शंकरराव बोसे “पटवारी अप्पा” से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया

गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री रामदास-शंकरराव बोसे “पटवारी अप्पा” को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2012 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 30 अक्टूबर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था। आयोग द्वारा श्री रामदास-शंकरराव बोसे “पटवारी अप्पा” को कारण बताओ सूचना-पत्र तामिली पश्चात निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च 2013 के संलग्न परिशिष्ट-36 टिप्पणी में प्रतिवेदित किया कि “अभ्यर्थी श्री रामदास-शंकरराव बोसे “पटवारी अप्पा” द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र तामिली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री रामदास-शंकरराव बोसे “पटवारी अप्पा” को दिनांक 22 अक्टूबर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। अभ्यर्थी श्री रामदास-शंकरराव बोसे “पटवारी अप्पा” सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जबकि अभ्यर्थी श्री रामदास-शंकरराव बोसे “पटवारी अप्पा” को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 9 अक्टूबर 2013 की तामिली विहित समयावधि में दिनांक 15 अक्टूबर 2013 को कराई जा चुकी थी।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री रामदास-शंकरराव बोसे “पटवारी अप्पा” द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रामदास-शंकरराव बोसे “पटवारी अप्पा” को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् खेतिया, जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2013

क्र. 6987-2921-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु- क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

होशंगाबाद संभाग

1	श्री मोहन बाबू साहू	राजस्व निरीक्षक
2	कु. शैली धुर्वे	पटवारी
3	श्री संतोष कुमार परते	पटवारी
4	श्री रमेश कुमार घुरेले	पटवारी
5	श्री दिनेश कुमार वर्मा	पटवारी
6	श्री अशोक राठौर	राजस्व निरीक्षक
7	श्री अनिल कुमार सेठ	पटवारी
8	श्री गुलाब चन्द उइके	राजस्व निरीक्षक
9	श्री प्रेमचन्द नागवंशी	राजस्व निरीक्षक
10	श्री एम. एस. गहलोद	राजस्व निरीक्षक
11	कु. हरिता सिन्धु ललोरिया	पटवारी
12	श्री कन्हैया लाल व्यास	पटवारी
13	श्री भरत अहिरवार	पटवारी
14	श्री अरविन्द कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक
15	श्री भीमराव पोटफोडे	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

16	श्री रामकुमार टांडिया	राजस्व निरीक्षक
----	-----------------------	-----------------

इन्दौर संभाग

17	श्रीमती किरण गेहलोत	नायब तहसीलदार
18	श्री नितिन चौहान	नायब तहसीलदार
19	श्री संतोष चौरे	राजस्व निरीक्षक

भोपाल संभाग

20	श्री स्वरोचिष सोमवंशी	सहायक कलेक्टर
21	श्री पंकज जैन	सहायक कलेक्टर
22	श्री अजय कटेशरिया	सहायक कलेक्टर

(1)

(2)

(3)

23	श्री राजीव रंजन मीना	सहायक कलेक्टर
24	श्री दीपक आर्य	सहायक कलेक्टर
25	श्री अनुराग वर्मा	सहायक कलेक्टर
26	श्री नीरज कुमार सिंह	सहायक कलेक्टर
27	श्रीमती सुरभि सिन्हा	सहायक कलेक्टर
28	कु. प्रतिभा पाल	सहायक कलेक्टर
29	श्री फटिंग राहुल हरिदास	सहायक कलेक्टर
30	श्री बक्की कार्तिकेयन	सहायक कलेक्टर
31	श्री रोहित सिंह	सहायक कलेक्टर
32	श्रीमती निधि निवेदिता	सहायक कलेक्टर
33	श्री चन्द्र मोहन ठाकुर	सहायक कलेक्टर
34	श्री प्रवीण सिंह ढायच	सहायक कलेक्टर
35	श्री संदीप श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
36	श्री आर. के. यादव	राजस्व निरीक्षक
37	श्री घनश्याम प्रसाद साहू	राजस्व निरीक्षक
38	श्री अताउल्ला खान	राजस्व निरीक्षक
39	श्री राकेश पिप्पल	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

40	श्री नवीन भारद्वाज	नायब तहसीलदार
41	श्री वंदना बघेल	नायब तहसीलदार

जबलपुर संभाग

42	श्री कुंवर लाल राउत	राजस्व निरीक्षक
43	श्री के.सी. अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक
44	श्री आशनारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक
45	श्री राजेन्द्र प्रसाद खम्परिया	राजस्व निरीक्षक
46	श्री अनिल सिंह	राजस्व निरीक्षक
47	श्री राजीव कुमार नेमा	राजस्व निरीक्षक
48	श्री राज बहादुर सिंह चिचाम	राजस्व निरीक्षक
49	श्रीमती मंजूषा शर्मा	सहा. अधी. भू-अभिलेख

निम्नस्तर

रीवा संभाग

1	श्री नारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक
2	श्री यादवेन्द्र मणि त्रिपाठी	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

3	श्री सुखलाल सिंह	राजस्व निरीक्षक
---	------------------	-----------------

सागर संभाग

4	श्री नरेन्द्र कुमार मार्को	राजस्व निरीक्षक
---	----------------------------	-----------------

(1)	(2)	(3)
5	श्री प्रीतम सिंह	राजस्व निरीक्षक
6	श्री प्रमोद कुमार पुष्पध	राजस्व निरीक्षक
7	श्री रतन सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
8	श्री अनिल कुमार अहिरवाल	राजस्व निरीक्षक
9	श्री भरत कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

10	श्रीमती रेखा सचदेव	नायब तहसीलदार
11	श्री शंकरलाल जोशी	राजस्व निरीक्षक
12	श्री दक्षेश कांटावाला	राजस्व निरीक्षक

भोपाल संभाग

13	श्री सत्येन्द्र चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक
14	श्री निलेश सरवटे	राजस्व निरीक्षक
15	श्री राजेन्द्र जैन	राजस्व निरीक्षक
16	श्री मो. अनीस कुरैशी	राजस्व निरीक्षक
17	श्री विनोद पाठक	राजस्व निरीक्षक
18	श्री प्रयाग सिंह	राजस्व निरीक्षक
19	श्री राकेश सिंह जाटव	राजस्व निरीक्षक
20	श्री रमेश प्रसाद रघुवंशी	राजस्व निरीक्षक
21	श्री मुमताज अली	राजस्व निरीक्षक
22	श्री राम प्रसाद नागर	राजस्व निरीक्षक
23	श्री हसन उद्दीन खिलजी	राजस्व निरीक्षक
24	श्री एन. एस. परमार	राजस्व निरीक्षक
25	श्री सत्यनारायण मालवीय	राजस्व निरीक्षक
26	श्री मुकेश सिंह	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

27	श्री आनन्द कुमार शुक्ला	राजस्व निरीक्षक
----	-------------------------	-----------------

जबलपुर संभाग

28	श्री देव लाल नेताम	राजस्व निरीक्षक
29	श्री हीरालाल तिवारी	सहा. अधि. भू-अभिलेख
30	श्री मुन्नालाल तिवारी	राजस्व निरीक्षक
31	श्री विवेक मुले	राजस्व निरीक्षक
32	श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
33	श्री गुरुदास प्रसाद मेहरा	राजस्व निरीक्षक
34	श्री मनीष कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
35	श्री श्याम सुंदर आनंद	राजस्व निरीक्षक
36	श्री रिपुदमन सिंह	राजस्व निरीक्षक
37	श्री वीरभद्र शुक्ला	राजस्व निरीक्षक
38	श्री हीरालाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
39	श्री शैलेश गौड़	राजस्व निरीक्षक
40	श्री गिरीश धुलेकर	राजस्व निरीक्षक

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2013

क्र. 8012-2938-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 12 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-चतुर्थ पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु- क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर**शहडोल संभाग**

1	श्री रीतेश दुबे	परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास परियोजना.
---	-----------------	--

इन्दौर संभाग

2	श्री रूपसिंह सिसोदिया	परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास परियोजना.
---	-----------------------	--

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2013

पू. क्र. 8057-2908-अका-विपप्र-2013-संशोधन.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी.सी.एवं द्वितीय सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 7094-2908-अका-विपप्र-2013, दिनांक 17 अक्टूबर 2013 को जारी की गई थी, में होशंगाबाद संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री संजय कुमार बारसकर, राजस्व निरीक्षक अंकित है के स्थान पर अब श्री संजय कुमार बारसकर, नायब तहसीलदार पढ़ा जाए.

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2013

क्र. 8111-2912-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 6 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित), विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु- क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर**सागर संभाग**

1	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
---	-------------------------	-----------------------

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2	श्री मोहित कुमार जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय)	38	श्री ललितेश सिंह नायक	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
3	श्री प्रसन्न कुमार जैन	कराधान सहायक	39	श्रीमती अमृता श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
4	श्री जीतेन्द्र विश्वकर्मा	कराधान सहायक	40	श्री प्रशान्त आर्य	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
5	श्री प्रकाश चन्द साहू	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	41	श्री अभिनन्दन चौधरी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
6	श्री नीलेश कुमार यादव	कराधान सहायक	42	डॉ. अरविन्दर कौर गांधी	कराधान सहायक
7	श्री गुड्डू काछी	कराधान सहायक	43	श्री रंजीत हरित	कराधान सहायक
8	कु. पूर्ती पाठक	कराधान सहायक	44	कु. प्रीति बरुआ	कराधान सहायक
9	श्री सत्यम चौबे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	45	कु. स्वीटी पराते	कराधान सहायक
भोपाल संभाग			46	श्री दिनेश डुडवे	कराधान सहायक
10	श्रीमती प्रीति राठौर	कराधान सहायक	47	कु. प्रियंका यादव	कराधान सहायक
11	श्रीमती मौसमी राय	कराधान सहायक (सश्रेय)	48	श्री सुमित डावर	कराधान सहायक
12	श्री कृष्ण कुमार सिंह	कराधान सहायक	49	श्री विरेन्द्र मुवेल	कराधान सहायक
13	श्री राम कुमार गौड़	कराधान सहायक	50	श्री रामेश्वर चौहान	कराधान सहायक
14	श्री राजेन्द्र नागले	कराधान सहायक	51	सुश्री सीमा त्रिपाठी	कराधान सहायक
15	श्रीमती सुषमा शर्मा	कराधान सहायक	52	श्री अभिमनोज पोरवाल	कराधान सहायक
16	कु. ज्योति ब्रम्हें	कराधान सहायक	53	श्री राजेश चौहान	कराधान सहायक
17	श्री वरुण केवलरामानी	कराधान सहायक	54	श्री पुष्पेन्द्र सिंह रावत	सहा. वाणिज्यिक कर अधि.
18	कु. नीलम गुप्ता	कराधान सहायक (सश्रेय)	55	सुश्री हेमलता बरोनिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
जबलपुर संभाग			56	श्री यशवन्त कण्डासा	कराधान सहायक
19	सुश्री रंजीता जैन	कराधान सहायक	57	श्री जय कुमार वर्मा	सहा. वाणिज्यिक कर अधि.
20	श्री शरद कुमार राय	कराधान सहायक	58	श्री अशोक घोड़ेला	कराधान सहायक
21	श्री विनय कुमार कोल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	59	श्रीमती पुष्पा तुरकई	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
22	श्री सुखदेव सिंह वरकड़े	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर		
23	श्री योगिराज इडपाचे	कराधान सहायक	भोपाल संभाग		
24	कु. कीर्ति सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय)	1	श्रीमती रितु ठाकुर	कराधान सहायक
25	श्री हरिओम डेहरिया	कराधान सहायक	2	श्री नवनीत शर्मा	कराधान सहायक
26	श्री प्रदीप खम्परिया	कराधान सहायक	3	श्री यशपाल मुजाल्दा	कराधान सहायक
27	सुश्री ज्योति रानी ब्रम्हे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	4	कु. संगीता पाण्डेय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
28	श्री आशिष कुमार साखरे	कराधान सहायक	5	श्री अवनीन्द्र सिंह भदौरिया	कराधान सहायक
29	श्री सचिन कुमार जायसवाल	कराधान सहायक	6	श्री संजय कुमार केशरवानी	कराधान सहायक
30	श्री मोहम्मद शकील अंसारी	कराधान सहायक	7	श्री विजय कुमार रघुवंशी	कराधान सहायक
31	श्री नीलेश भूमरकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	जबलपुर संभाग		
32	श्री विनय कुमार त्रिपाठी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	8	श्री वीरेन्द्र कुमार निगम	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
33	कु. श्रद्धा गोलहानी	कराधान सहायक	9	श्री विवेक सिंह बघेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
इन्दौर संभाग			10	श्री आराधना पाण्डेय	कराधान सहायक
34	श्री दीपक परमार	कराधान सहायक	11	श्री जितेन्द्र मिश्रा	कराधान सहायक
35	श्री मनीष कुमार व्यास	वाणिज्यिक कर अधिकारी	12	श्री कृपा शंकर सिंह	कराधान सहायक
36	श्री देवेन्द्र पंत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	13	श्री सियाराम रघुवंशी	कराधान सहायक
37	श्री ओमप्रकाश खाण्डे	कराधान सहायक	14	श्री मृत्युञ्जय तिवारी	कराधान सहायक

(1) (2) (3)

ग्वालियर संभाग

15	श्री प्रशान्त अरजरिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
16	श्री अनिल जेठवानी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
17	श्री तरुण जैन	कराधान सहायक

इन्दौर संभाग

18	कु. रीना चौहान	कराधान सहायक
19	सुश्री शिल्पी अग्रवाल	कराधान सहायक
20	श्री राजकुमार पाण्डेय	कराधान सहायक
21	श्री अरुण कुमार कैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
22	श्री राशिद अली खान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
23	श्री सुनील जाट	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
24	श्री चन्दर सिंह जामोद	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
25	श्री जेनुलउद्दीन शेख जिलानी	कराधान सहायक
26	श्री संदीप कुमार रायकवार	कराधान सहायक
27	श्रीमती मीनाक्षी जमरे	कराधान सहायक
28	श्री रामसिंह सस्तियां	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
29	श्री महेश गोलकर	कराधान सहायक
30	श्री सुजान वास्केल	कराधान सहायक
31	डॉ. निलेश महाजन	कराधान सहायक

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

क्र. 8121-2937-अका-विप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 8 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-न्यायिक शाखा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनु- क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

भोपाल संभाग

1	श्री ममदेश कुमार माली	उप पुलिस अधीक्षक
---	-----------------------	------------------

जबलपुर संभाग

2	सुश्री शकुन्तला	उप पुलिस अधीक्षक
3	श्री लोकेश कुमार सिन्हा	उप पुलिस अधीक्षक
4	कु. कमला जोशी	उप पुलिस अधीक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला मण्डला मध्यप्रदेश

मण्डला, दिनांक 14 नवम्बर 2013

क्र. सां.लि.-454-2013.—मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, लोकेश कुमार जाटव, जिलादण्डाधिकारी, मण्डला, मण्डला जिले के निम्नानुसार क्षेत्रों को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि निम्नांकित शांत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगण किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों जिनमें वाद्य संगीत, ढोल, लाउडस्पीकर, डी. जे. साउण्ड बाक्स आदि शामिल है, का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो, वह म. प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 (1) (2) एवं 16 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा :-

स. क्र.	स्थान का नाम	घोषित क्षेत्र की सीमा	कोलाहल प्रतिबंधित अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सिविल न्यायालय एवं कलेक्ट्रेट परिसर	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक.
2	जिला चिकित्सालय, मण्डला.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	पूर्ण दिन अर्थात् 24 घंटे.
3	आफीसर्स लाईन सिविल एरिया.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	पूर्ण दिन अर्थात् 24 घंटे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

लोकेश कुमार जाटव, जिलादण्डाधिकारी.

**कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिलादण्डाधिकारी
शहडोल, मध्यप्रदेश**

शहडोल, दिनांक 14 नवम्बर 2013

क्र. आर-डीएम-को. नियं.-5369-2013.—मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अशोक कुमार भार्गव, जिलादण्डाधिकारी, शहडोल, शहडोल जिले के निम्नानुसार क्षेत्रों को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि

निम्न शांत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगण किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल, लाउड स्पीकर, साउण्ड बाक्स आदि शामिल हैं, का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगण ऐसा करते पाया जाता है तो, वह मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 (1) (2) एवं 16 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा :—

स. क्र.	स्थान का नाम	घोषित क्षेत्र की सीमा	कोलाहल प्रतिबंधित अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जिला एवं सत्र न्यायालय, शहडोल	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक.
2	जिला अस्पताल, शहोडल.	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र	प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.

अशोक कुमार भार्गव, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 20 नवम्बर 2013

क्र. 11942-वरि. लि.-1-2013.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी-अनुभाग) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन के पत्र क्र. एफ 44-10-2013-दो-सी-1, भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2013 के परिप्रेक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण सेन्ट्रल बैंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2013 के पालनार्थ मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, योगेन्द्र शर्मा, जिला दण्डाधिकारी सागर,

सागर जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साईलेंस जोन) घोषित करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि निम्न "शांत क्षेत्र" में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगण किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल, लाऊड स्वीपकर, साउण्ड बाक्स आदि शामिल हैं, का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत ऐसा करते पाया जाता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15(1)(2) एवं 16 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा :—

स. क्र.	स्थान का नाम	घोषित क्षेत्र की सीमा
(1)	(2)	(3)
1	बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय	100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
2	तिली अस्पताल	—''—
3	केन्द्रीय बीड़ी अस्पताल	—''—
4	भाग्योदय अस्पताल	—''—
5	इंदिरा नेत्र चिकित्सालय	—''—
6	जिला न्यायालय परिसर	—''—
7	जिलाध्यक्ष कार्यालय सागर	—''—
8	जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी	—''—
9	जेल प्रशिक्षण केन्द्र	—''—
10	सागर विश्वविद्यालय परिसर	—''—
11	इंदिरा गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय	—''—
12	सिरौंजा शैक्षणिक क्षेत्र	—''—
13	अन्य शैक्षणिक संस्थान	—''—

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.

योगेन्द्र शर्मा, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, मुख्य अभियन्ता (विद्युत् सुरक्षा) एवम् मुख्य विद्युत् निरीक्षक, म. प्र. शासन

क-खण्ड, तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2013

क्र. अ.मं.-विठे-निरस्ती-2013-14-1872-मु.अ.—मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्) विनियम, 1960 के निम्न प्रकार से विनियमों का पालन न करने के फलस्वरूप विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्तियां निरस्त हुयीं हैं जिनकी सूचियां संलग्न है:—

1. विनियम 26(2) के तहत पर्यवेक्षक द्वारा कार्य छोड़ने के दिनांक से 6 माह में दूसरे पर्यवेक्षक की नियुक्ति न किये जाने के कारण विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो चुकी है. अतः पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है. संलग्न सूची क्रमांक (1) वि.ठे. संख्या-128.

2. विनियम, 29 के तहत दिनांक 30 जून 2013 तक आगामी वर्ष अवधि 2013-15 तक के लिये विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो चुकी है. अतः दिनांक 1 जनवरी 2013 से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है—संलग्न सूची क्रमांक (2) वि.ठे. संख्या-87.
3. सूची क्रमांक (3) में अंकित विद्युत् ठेकेदारों द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की गई है. अनुमति के निरस्तीकरण दिनांक से कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है. संलग्न सूची क्रमांक (3) वि. ठे. संख्या-86.

सूची क्रमांक-एक (1)

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के पश्चात् 6 माह तक पर्यवेक्षक की नियुक्ति न होने के कारण निरस्त अनुज्ञप्तियों की सूची

क्रमांक	विद्युत् ठेकेदार का नाम/पता	कार्य छोड़ने का दिनांक	अनु. क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती गीता रानी कुशवाहा, प्रो. टेक्नोक्रेट इंजी. वर्क्स, रानीपुरा नं. 2, ग्वालियर (म. प्र.).	31-01-2013	926—ए
2	श्री मोहम्मद आजम खान, द्वारा-अर्शो इले. बी-150, हजरत निजामुद्दीन कॉलोनी, भोपाल (म. प्र.).	31-7-2010	28/1428-ए
3	श्री जियालाल साहू, प्रो. शिवशंकर इले., मेन रोड, बिलौजी, बैदन, जिला सीधी (म. प्र.).	12-2-2013	19/1459-ए
4	श्री अमित यादव, द्वारा-आर ए एन्टरप्राइजेस, जय दयाल रोड, सुभाष चौक, कटनी (म. प्र.).	31-12-2012	33/1569-ए
5	श्री राजीव हरजरिया, चौबे कालोनी, आईटीआई के पीछे, छतरपुर (म. प्र.).	19-7-2010	8/1629-ए
6	श्री प्रकाश ताहिल रमानी, मे. जे. टी. इले. एण्ड मेकेनिकल, एस-2, विक्टर होम्स, विजय नगर, लालघाटी, भोपाल (म. प्र.).	30-6-2012	28/1753-ए
7	श्री के. के. रघुवंशी आ. श्री रणवीरसिंह, छाबड़ा कॉलोनी, गुना (म. प्र.).	27-7-2012	6/1921-ए
8	श्री गिरीश शर्मा, म. नं. 102, डायमण्ड ट्रेड सेन्टर, न्यू पलासिया, इन्दौर (म. प्र.).	15-5-2012	23/2129-ए
9	श्री प्रमोद भावसार, 230 अभिनन्दन नगर, विस्तार क्र. 1, मंदसौर (म.प्र.).	4-2-2012	16/2432-ए
10	श्री देवेन्द्र गुप्ता आ. श्री कमरलाल गुप्ता, द्वारा डी. के. इलेक्ट्रीकल यूको बैंक के पास, न्यू कॉलोनी, बैराड़-शिवपुरी (म.प्र.).	16-1-2012	05/2440-ए

(1)	(2)	(3)	(4)
11	मे. ओम श्री मॉ कन्सट्रक्शन, 2/122, कामद वार्ड, गोटेगांव, नरसिंहपुर (म.प्र.).	25-5-2012	35/2448-ए
12	श्री सुरेश नानूराम भावसार, 57, नूतन नगर, भारतीय स्टेट बैंक के सामने, खरगौन (म.प्र.).	6-7-2012	24/2452-ए
13	श्री एस. के. डाबर, मे. स्वास्तिक मेकेनिकल वर्कशॉप, सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.).	22-08-2012	18/2509-ए
14	श्री व्ही. के. मिश्रा, मे. व्ही. के. मिश्रा, 1100/15 सत्यानंद बिहार, रामपुर-जबलपुर (म.प्र.).	31-5-2012	33/2528-ए
15	मे. जी. ई. टी. पावर प्राय. लिमि., 23, चेमियर्ज रोड, नन्दनम चेन्नई पी 600035.	31-10-2012	यूएस./2531-ए
16	कैलाश कन्सट्रक्शन, 818 गुलाब भवन, हाथीताल, जबलपुर (म.प्र.)	16-10-2012	35/2536-ए
17	श्री सुजानसिंह ठाकुर, आ. श्री रणधीरसिंह, मेहता फ्लाट तिलक वार्ड, पिपरिया, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.).	1-6-2012	32/2545-ए
18	श्री मनीष कछावा आ. श्री ओमप्रकाश कछावा, ई-1176, स्कीम नं. 5, संगम नगर, इन्दौर (म. प्र.).	17-12-2012	23/2568-ए
19	श्री माधोराव बान्डे बुचे, वार्ड नं. 9, आदर्श नगर, कोसमी, बालाघाट (म.प्र.).	31-3-2012	38/2704-ए
20	मॉ पीताम्बरा कन्स. कम्पनी, प्रो. चन्द्रप्रकाश शर्मा, बैजल कोठी, मुरार-ग्वालियर (म.प्र.).	27-2-2013	03/2734-ए
21	श्री मो. मुबारक खान आ. श्री शमशेर खान, 80 पठान वाडी, जूहि क्लीनिक के पास खरगौन (म.प्र.).	4-3-2012	24/2767-ए
22	मे. रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि. रामकी हाउस, राजभवन रोड, सोमाजी गुड़, हैदराबाद-500082.	15-12-2012	यूएस/2781-ए
23	श्री लक्ष्मण साहू, 09/08, गोदा रोड, अनन्तपुर, जिला रीवा (म.प्र.).	31-5-2012	13/2800-ए
24	श्री रामनिवास शर्मा, आ. श्री बहुरनसिंह, गायत्री कॉलोनी, माता का मंदिर मुरैना (म.प्र.).	1-4-2013	01/2810-ए
25	श्री सुरेन्द्र सिंह खोजर, मे. खोजर इन्टरप्राइजेज, डी सेक्टर, एमआईजी-131, अयोध्या नगर बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.).	10-11-2012	28/2815-ए
26	श्री जितेन्द्रकुमार गुप्ता, मे. मॉ दुर्गा कन्सट्रक्शन मैहर सीमेंट, सेवा ट्रस्ट हास्पिटल के सामने, सरला नगर, मैहर (म.प्र.).	4-3-2013	12/2850-ए

(1)	(2)	(3)	(4)
27	मो. साबिर आ. श्री फतेह मोहम्मद, पायोनियर रेडियो एण्ड इले., 35/2, छीपा बाखल, इन्दौर (म.प्र.).	10-7-2012	23/2861-ए
28	श्री राजेश कुमार पाण्डे, प्रो. व्ही. आर. इन्टरप्राइजेज, क्वा. नं. एम/424, बिजुरी कॉलोनी, जिला अनूपपुर (म.प्र.).	4-4-2013	47/2865-ए
29	श्री पवन कुमार कचेर, आ. श्री रामखिलावन कचेर, ग्राम-आजाद नगर, कोटहा, जिला-सीधी (म.प्र.).	20-9-2012	15/2895-ए
30	श्री दत्त कुमार जामोद आ. श्री फूलसिंह जामोद, 50, श्रीराम नगर, फूठी कोठी, इन्दौर (म.प्र.).	0-08-2012	23/2898-ए
31	श्री मन मोहन पारीख, द्वारा-मनमोहन इलेक्ट्रिकल होटल, मारूति के पास, गोशाला मार्केट, मंदसौर (म.प्र.).	18-10-2012	16/2907-ए
32	मे. जीनस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि., सी-18 नारायण नगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.).	31-03-2013	03/2918-ए
33	श्री कमलेश कुमार ओझा, पवनसुत कॉलोनी, हुराबली चौराहा, मुरार-ग्वालियर (म.प्र.).	9-3-2013	03/2938/ए
34	मे. दादा भगवान कन्सट्रक्शन कम्पनी, 18, पंचशील सोसायटी, अनुपम नगर, एक्सटेंशन थाटीपुर-ग्वालियर (म.प्र.).	11-6-2012	03/2969-ए
35	श्री राजीव अग्रवाल, ई-7/104, प्लेट नं. 7, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.).	27-01-2013	28/2974-ए
36	मे. सुगन्धा कन्स. प्राय. लिमि., चमेली चौक, सागर (म.प्र.).	20-3-2012	09/2978-ए
37	श्री प्रेम कुमार खेड़िया, आ. श्री विजयकुमार खेड़िया, 107, रॉयल रेसीडेन्सी, 129, कंचन बाग, इंदौर (म.प्र.).	19-9-2012	23/2980-ए
38	श्री ओमप्रकाश खत्री, आ. श्री अमरनाथ खत्री, द्वारा-ओमप्रकाश अमरनाथ इंजी. एण्ड कॉन्ट्रैक्टर, 311, आरबीट माल, ए. बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.).	15-4-2012	23/3017-ए
39	श्री श्यामलाल तालनपुरीया, मे. ब्राइट इलेक्ट्रिकल इंजी. वर्क्स, मेन रोड, सूरजगंज इटारसी, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.).	30-1-2013	32/3035-ए
40	श्री कृष्णशरण शाह, बिलौंजी बैढ़न, सिंगरौली (म.प्र.).	29-2-2012	18/3086-ए
41	मे. राजमंगल डेवलपर्स, शिवाजी नगर, छत्री रोड, शिवपुरी (म.प्र.).	17-12-2012	05/3096-ए

(1)	(2)	(3)	(4)
42	श्री रंजन चेतवानी, आ. श्री भगवानदास, 34 पदमावती कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).	30-1-2013	23/3209-ए
43	श्री अशोक कुमार जोशी, म. नं. 701, स्नेह नगर, जबलपुर (म.प्र.).	10-10-2012	33/3219-ए
44	श्री बृजेश कुमार सिंगरौली, ग्राम-मुछैल, पो. मानपुर, जिला-रायसेन (म.प्र.).	5-5-2012	26/3276-ए
45	मे. महाराजा एसोसियेट्स, मोतीनगर, सागर (म.प्र.)	28-02-2012	09/3296-ए
46	श्री योगेश परसाई, मे. श्री कन्सलटेन्सी सर्विसेज, 43, वल्लभ नगर, पिपलानी भोपाल (म.प्र.).	20-12-2012	28/3310-ए
47	श्री हरीश ललवानी आ. श्री रामचन्द्र ललवानी, सी.-11, न्यू सियागंज ओछार प्लाजा, इन्दौर (म.प्र.).	31-07-2012	23/3336-ए
48	श्री पवन कुमार जैन आ. श्री प्रकाशचन्द्र जैन, ग्राम-धामनिया, तह. जावद, जिला नीमच (म.प्र.).	31-3-2013	21/3342-ए
49	श्री शेरू खान, 43, डॉ. के. हैदर की गली इब्राहिमपुरा, सुल्तानिया रोड, भोपाल (म.प्र.).	20-3-2012	28/3358-ए
50	श्री मो. साबिर आ. श्री मुस्तफा मिस्त्री, 3125, कालीमाता रोड, महु, जिला-इन्दौर (म.प्र.).	29-7-2012	23/3369-ए
51	श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रो. नेहा इलेक्ट्रिकल्स, सी-724, मानसरोवर कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल (म.प्र.).	10-2-2013	28/3370-ए
52	मे. अम्बर कान्ट्रेक्टरस प्राय. लिमि., 13, रवि नगर, ग्वालियर (म.प्र.).	30-11-2012	03/3371-ए
53	श्रीमती स्नेहनता अग्रवाल, पत्नी श्री मनोज अग्रवाल, ई-6/104, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.).	25-4-2012	28/3374-ए
54	मे. शारदा कन्सट्रक्शन कम्पनी, सिलपारा, रीवा (म.प्र.).	31-3-2012	13/3382-ए
55	श्रीमती शकुंतला सोलंकी, शॉप नं. 9,10 महु नीमच रोड, शाडा कॉम्प्लेक्स, पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.).	23-4-2012	22/3435-ए
56	श्री राजेश कुमार शर्मा आ. श्री देवीप्रसाद शर्मा, 902-ए, विशाल टॉवर, नौलखा, इन्दौर (म.प्र.).	30-5-2012	23/3443-ए
57	मे. पद्मजा इन्फ्रास्ट्रक्चर, डी-3, सहारा होम्स, जी-2/111, गुल मोहर कॉलोनी, ई-8, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.).	14-8-2012	28/3457-ए

(1)	(2)	(3)	(4)
58	मे. ओमाला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राय. लिमि. जी-1, आशियाना अपार्टमेन्ट 76, श्री नगर आनन्द नगर चौराहा, इन्दौर (म.प्र.).	8-4-2012	23/3465-ए
59	श्री अजीज खान आ. श्री इन्दु खान, एस. ए. एफ. आई बटालियन डी 11/9, केवरली लाईन, इन्दौर (म.प्र.).	25-3-2012	23/3474-ए
60	श्री पी. एल. पाल, विनोबा वार्ड, पिपरिया, जिला होशंगाबाद (म.प्र.).	29-1-2013	32/3491-ए
61	मे. पार्श्व प्रोजेक्ट प्राय. लिमि., एफ-202, प्लाट नं. 25, नारायण नगर, भोपाल (म.प्र.).	10-8-2012	28/3505-ए
62	श्री अरूण कुमार सोनी, ग्राम-दुर्जनपुर, तह. विजयराघवगढ़, पो. हरैया, जिला-कटनी (म.प्र.).	31-7-2012	44/3527-ए
63	श्री देवराज शर्मा, प्रो. देव कंस्ट्रक्शन एण्ड इले., विजयवर्गीय गली, बड़ा बाजार, नरसिंहपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.).	12-4-2012	31/3538-ए
64	श्री कमल किशोर गुप्ता, मे. जगदम्बा आटो पार्ट्स, आर्य समाज मंदिर, बड़ौदा रोड, शिवपुर (म.प्र.).	12-10-2012	04/3567-ए
65	श्री गणेश गुर्जर आ. श्री शिवराम गुर्जर, 105 मेघदूत टावर गिरधर महल के सामने, विनय नगर, इन्दौर (म.प्र.).	4-11-2012	23/3593-ए
66	श्री प्रकाश तलरेजा, बी- 163, बाग मुंगालिया, श्री रामेश्वरम् नगर, भोपाल (म.प्र.).	19-6-2012	28/3595-ए
67	श्री गौरव यादव आ. श्री पी.डी. यादव, डी/14, 400 के.व्ही. कॉलोनी, खण्डवा रोड, इन्दौर (म.प्र.).	26-9-2012	23/3608-ए
68	मे. यू. बी. इंजीनियरिंग लिमि., शहयात्री सदन, तिलक रोड, पूणे, 411030 महाराष्ट्र.	26-4-2012	यूएस./3609-ए
69	श्री हरिसिंह कुशवाहा, जीडी रेफ्रीजेशन एण्ड इलेक्ट्रिकल, नई सड़क, लश्कर-ग्वालियर (म.प्र.).	12-1-2013	03/3650-ए
70	मे. याशिका एलीवेटर्स प्राय. लिमि., 48 पवनपुरी कॉलोनी, पालदा नाका, नेमावर रोड, इन्दौर (म.प्र.).	6-3-2012	23/3657-ए
71	श्री संजयसिंह, एफ 8/50 ए सहकार नगर, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.)	30-11-2012	28/3661-ए
72	श्रीमती सुषमासिंह वैश्य पत्नी श्री अनिल सिंह वैश्य, यूनीपेच फैक्ट्री के सामने, रचना नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म.प्र.).	15-12-2012	03/3677-ए
73	मे. एरिवा टी एण्ड डी इंडिया लिमि. 89, नया गांव हाडसिंग बोर्ड सोसायटी, रामपुर-जबलपुर (म.प्र.).	20-2-2013	33/3691-ए

(1)	(2)	(3)	(4)
74	मे. स्पुन कम्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिमि. 105/2 न्यू सोनल लिंक इण्डस्ट्रियल स्टेट लिंक रोड, मलाड वेस्ट मुम्बई 400064.	1-3-2012	यूएस/3698-ए
75	श्री राजेन्द्रसिंह धाकड़ आ. श्री रमेशसिंह धाकड़, ग्राम-गहतोली, तह. जौरा, जिला-मुरैना (म.प्र.).	14-9-2012	01/3700-ए
76	मे. मध्य भारत टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर, भोपाल 119, फर्स्ट फ्लोर, मालवीय नगर, भोपाल (म.प्र.).	4-9-2012	28/3712-ए
77	श्री रमेशचन्द्र चौहान आ. श्री लालजीराम चौहान, ग्राम-गादियामेट, पो. दौलाज, तह. खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.).	29-9-2011	31/3714-ए
78	श्री मोहन सौराष्ट्र आ. श्री लालजीराम, ग्राम-पाडल्या माताजी, तह. सारंगपुर, जिला-राजगढ़ (म.प्र.).	20-4-2012	31/3721-ए
79	श्री सी. एस. क्लीदर्स आ. श्री एम. सालोमन, डुप्लेक्स नं. 185, पटेल नगर, मण्डीदीप, जिला-रायसेन (म.प्र.).	25-4-2012	26/3730-ए
80	मे. बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ए-5/003, पारस सिटी, ई-3, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.).	27-11-2012	28/3742-ए
81	श्री गौरव तरानेकर आ. श्री रमण तरानेकर, न. 161/37, पिपल्याराव, तह. व जिला-इन्दौर (म. प्र.).	12-6-2012	23/3749-ए
82	मे. सोया सेल्स एण्ड इंजीनियर्स, जयेन्द्रगंज, ग्वालियर (म.प्र.).	1-9-2012	03/3750-ए
83	श्री राजीव शर्मा, म. नं. ए-203 राधाकिशन अपार्टमेंट, नारायण नगर, बागसिवनिया, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.).	10-5-2012	28/3751-ए
84	श्री प्रदीपसिंह तोमर आ. श्री आत्मारामसिंह तोमर, सब्जी मण्डी रोड, बरवाली गली, पोरसा- मुरैना (म.प्र.).	31-3-2012	01/3757-ए
85	श्री हुसैन अहमद आ. श्री मुश्ताक अहमद, नूर महल, भोपाल, म. नं. 02, माशा अल्लाह बिल्डिंग, भोपाल (म.प्र.).	31-10-2012	28/3762-ए
86	मे. जान्हवी कन्सट्रक्शन, प्रो. अनुराग त्रिवेदी, 1977 राइट टाउन, जबलपुर (म.प्र.).	9-6-2012	33/3763-ए
87	श्री मुईन उद्दीन शेख आ. श्री फिरोजउद्दीन शेख, 59, ओल्ड राज मोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.).	26-2-2013	23/3768-ए
88	श्री देवेन्द्र शर्मा, 155/2, महेन्द्र नगर, नबादा बाग, भिण्ड (म.प्र.).	1-10-2012	02/3770-ए
89	मे. अभिराम इन्फ्रा. प्रोजेक्ट प्राय, लिमि. नं. एक ए/जी डी नं. 8-2-618/2/2, आर. के. रेसीडेन्सी रोड नं. बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034.	20-3-2012	यूएस/3799-ए

(1)	(2)	(3)	(4)
90	मे. श्रीराम इंजीनियरिंग, डोर नं. 24-1444, लेनिन नगर, जगतगिरी गुहा, हैदराबाद.	30-6-2012	यूएस/3806-ए
91	श्री श्रीकान्त मिश्रा, 166, कमला नेहरू नगर, गढ़ा रोड, जबलपुर (म.प्र.).	17-12-2012	33/3818-ए
92	श्री भूपेन्द्रनाथ सिंह, प्रो. मे. स्टार इलेक्ट्रिकल, एस.एच. स्टील फर्नीचर, मेन रोड, बैदुन, जिला सिंगरौली (म.प्र.).	2-9-2012	15/3819-ए
93	श्री श्यामलाल बंसल, मेसर्स बंसल कन्स्ट्रक्शन हरई पूर्वी बैदुन, जिला सिंगरौली (म.प्र.).	30-9-2012	15/3832-ए
94	श्री राजकुमार सिंह, तह. ईसागढ़, ग्राम गहोरा, जिला अशोकनगर (म.प्र.).	1-10-2012	19/3833-ए
95	मे. यादव इंडिया कन्स्ट्रक्शन, प्रो. भारतसिंह यादव, ग्राम-छपरा, पोस्ट बिजौरी, थाना-चरगंवा, जिला जबलपुर (म.प्र.).	20-11-2012	33/3844-ए
96	श्री अनिल कुमार शर्मा आ. श्री रामेश्वर दयाल शर्मा, पालिया भवन, गणेशपुरा, मुरैना (म.प्र.).	12-10-2012	01/3845-ए
97	श्री राजीव शर्मा आ. श्री सुरेश बाबू शर्मा, ग्राम-बड़पुरा, पो. रिदौली,, तह. अटेर, जिला भिण्ड (म.प्र.).	28-2-2013	02/3850-ए
98	श्री साईनाथ नायर आ. श्री बालकृष्ण नायर, परमा इन्टरप्राइजेज नियर एच.सी.एल. कम्प्यूटर लिंक रोड, सदर बैतूल (म.प्र.).	1-12-2012	34/3854-ए
99	श्री ओमप्रकाश दीक्षित, आ. श्री महाबली दीक्षित, 43/1, शंकर गंज, मेन रोड, जिला इन्दौर (म.प्र.).	22-10-2012	23/3856-ए
100	श्री अरूण कुमार आ. श्री जमनालाल, 951/1, ग्राम-कुरावर, तह. नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.).	26-09-2012	31/3859-ए
101	श्री हरिनारायण पाटीदार आ. श्री केसूरामजी पाटीदार, ग्राम-जिरिया खेड़ी, तह. जीरापुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.).	21-10-2012	31/3861-ए
102	मे. रूदर इन्टरप्राइजेज, म. नं. 2, गुप्ता कॉलोनी, नीयर मराठा मंदिर आनंदनगर, भोपाल (म.प्र.).	11-9-2012	28/3867-ए
103	श्री बाबूलाल पवार आ. श्री मोंगीलाल, ग्राम-आसारेटा पवार, तह. पचोर, जिला राजगढ़ (म.प्र.).	31-10-2012	31/3870-ए
104	श्री मो. सादिक सिद्धीकी, 91, इकबाल नगर कॉलोनी, अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.).	10-12-2012	28/3871-ए

(1)	(2)	(3)	(4)
105	मे. निविक कन्स्ट्रक्शन, टी-4, आर-44, किशन आर्केड, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.).	21-10-2012	28/3876-ए
106	श्री शाक्तीसिंह यादव आ. श्री रामजन्मसिंह यादव, पुरानी बस्ती, अण्डरब्रिज के पास, शहडोल (म.प्र.).	1-12-2012	14/3884-ए
107	श्री मिर्जा मुदास्सिर बेग आ. श्री मिर्जा मेहफुज बेग, म.नं. 320/2, फुटेरा वार्ड नं. 9, पठानी मोहल्ला, दमोह (म.प्र.).	1-12-2012	11/3902-ए
108	ब्रदर्स इलेक्ट्रिकल, प्राय. लिमि., गली नं. 3, म.नं. 51, शक्तिनगर, जबलपुर (म.प्र.).	1-12-2012	33/3903-ए
109	श्री राजकुमार वैद्य आ. श्री बैजनाथ प्रसाद, ग्राम-परासरी, तह. बीना, जिला सागर (म.प्र.).	6-12-2012	09/3908-ए
110	श्री आकाश राजोले आ. श्री राजकुमार राजोले, 807/9, नन्दानगर, इन्दौर (म.प्र.).	2-4-2013	23/3918-ए
111	श्री अनिल कुमार सिंह, ग्राम-पो. अमलिया, जिला सीधी (म.प्र.)	27-1-2013	15/3924-ए
112	श्री राजकुमार सिंह राठौर, प्रो. सिंह इलेक्ट्रिकल, शिवानगर, शिवपुरी (म.प्र.).	9-1-2013	05/3936-ए
113	श्री संजय साहू आ. श्री रामचरण साहू, आवास कॉलोनी, वार्ड नं. 3, गली नं. 5, बावई होशंगाबाद (म.प्र.).	1-3-2012	32/3947-ए
114	श्री सतनाम सिंह आ. श्री चन्दासिंह पटेल रोड, पचमढी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.).	13-12-2012	32/3951-ए
115	मे. गौरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, गौरी टावर फर्स्ट फ्लोर, शिवपुरी (म.प्र.)	23-12-2012	05/3955-ए
116	श्री हीरासिंह आ. श्री बापूसिंह, निवाजी 365 बलाई मोहल्ला, रवरसोदखुर्द तह. बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.).	1-2-2013	18/3957-ए
117	मे. थरमेक्स लिमिटेड, पावर डिवीजन मे. फेयर टावर बी-विंग, बाकडे वाडी पुणे महाराष्ट्र-411003.	24-6-2012	यूएस/3963-ए
118	श्री मोविन खान आ. श्री बल्लू खान, ग्राम चादुकी, पोस्ट-रायबका, तह. अलबर, राजस्थान.	10-2-2013	यूएस/3966-ए
119	ओएसिस इन्फो सिस्टम प्राय. लिमि., 31-सी, गोयल बिहार, झोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.).	2-1-2013	28/3976-ए

(1)	(2)	(3)	(4)
120	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, आ. श्री पुरुषोत्तम शर्मा, ग्राम-रामनगर, तहसील-राघौगढ़, जिला गुना (म.प्र.).	1-2-2013	03/3980-ए
121	श्री महेश कुमार गुर्जर, आ. श्री भारतसिंह गुर्जर, ग्राम-सुठालिया, जिला-राजगढ़ (म.प्र.).	5-1-2013	31/3983-ए
122	श्री निर्मल चूना वाला, आ. श्री बाबूलाल चूना वाला, म.नं. 907, खाती वाला टैंक मेन रोड, जय गुरुदेव भवन, इंदौर (म.प्र.).	12-3-2013	23/3988-ए
123	श्री शैलेन्द्रसिंह सिसौदिया, चन्द्रशेखर वार्ड, इटारसी रोड, बैतूल (म.प्र.).	4-3-2012	34/3989-ए
124	श्री तखतसिंह चौधरी, चौधरी इन्टरप्राइजेस, एचआईजी 3/48, मयूरी परिसर, अयोध्या बाईपास, भोपाल (म.प्र.).	19-3-2013	28/4018-ए
125	मे. अमर एसोसिएट्स, ठाकुर बाबा की कुटिया, नीलकंठ, भोपाल (म.प्र.).	20-3-2013	28/4020-ए
126	श्री अख्तर खान, आ. श्री बशीर खान, शांतिनगर, वार्ड नं. 7, बानमौर, जिला-मुरैना (म.प्र.).	6-3-2013	01/4025-ए
127	श्री उदयराजसिंह विश्वकर्मा, ग्राम-गुदरई, तह. गोटेगांव, जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.).	8-2-2013	35/4042-ए
128	श्री रामस्वरूप धाकड़, गढ़ा कॉलोनी, गुना (म.प्र.).	5-4-2013	06/4045-ए
129	श्री जेम्स जॉन लूईस, म. नं. 46, केन्ट पेन्टी नाका, सदर बाजार, जबलपुर (म.प्र.).	26-2-2013	33/4089-ए
130	मे. कोठारी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो. जुगलकिशोर शर्मा, कृष्णपुरम कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र.).	31-3-2013	5/4185-ए

सूची क्रमांक (दो)

30-6-2013 तक नवीनीकरण न कराने के कारण निरस्त अनुज्ञप्तियों की सूची

क्रमांक	विद्युत् ठेकेदार का नाम/पता	अनुज्ञप्ति क्रमांक
(1)	(2)	(3)
1	मेसर्स बजाज इलेक्ट्रीकल्स, बसंत मेशन, 165 आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर (म.प्र.) 452001.	665-ए
2	श्री राकेश कुमार चन्दानी, शिवशक्ति ट्रेडर्स, एम-1, मिनाक्षी रिजेन्सी, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.).	676-ए

(1)	(2)	(3)
3	श्री जी. सी. सेठ, बी/59, कोहेफिजा हाउसिंग बोर्ड कालोनी, भोपाल (म.प्र.).	699-ए
4	श्री अतुल अग्रवाल, प्रो. अग्रवाल इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टिंग, अपो. गांधी स्टेडियम मेनगेट, लक्कड़गंज, इटारसी जिला-होशंगाबाद (म.प्र.).	870-ए
5	श्री आर. आर. ढिंगरा, एमआईजी फ्लेट नं.-1, प्लॉट नं. 39, सुचित्रा अपार्टमेंट, सुरूचि नगर, भोपाल(म.प्र.).	878-ए
6	श्री रविन्द्र कुमार कुकरेजा, प्रो. ओम एजेन्सीज, जी.टी.बी. कॉम्प्लेक्स, टी. टी. नगर, भोपाल (म.प्र.).	881-ए
7	श्री दिलीप कुमार गुप्ता, फ्लेट नं. 4-ई-2/92, आशिया कॉम्प्लेक्स, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.).	887-ए
8	श्री दीपक वासुदेव केकरे, 120, अल्कापुरी, देवास (म.प्र.) 455001	905-ए
9	मेसर्स डायनामिक सर्विसेस, ए-114, अल्कापुरी, हबीबगंज स्टेशन के पास, बी.एच.ई.एल. भोपाल (म.प्र.).	28/1116-ए
10	श्री विवेक सोनी, 104, वैशाली सुरेन्द्र पैलेस, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के सामने, भोपाल (म.प्र.).	28/1351-ए
11	श्री सुनील कुमार जैन, प्रो. पंचोरिया इलेक्ट्रिसिटी, 14, सुविधी नगर, मेन रोड इंदौर (म.प्र.).	23/1372-ए
12	श्री उमाकांत वर्मा, सागर हार्ट केयर सेन्टर के पीछे, पटेल नगर, शिवाजी पार्क सागर (म.प्र.).	10/1380-ए
13	श्री लक्ष्मीकांत त्रंबक जोशी, 239, राजीव नगर, विदिशा (म.प्र.).	27/1393-ए
14	श्री अजय गोमतीवाला, मे. गोमतीवाला एण्ड एसोसिएट्स, 436 कल्पना नगर, भोपाल (म.प्र.).	28/1405-ए
15	श्री हरिप्रसाद नागवंशी, पंचशील कॉलोनी, म. नं. 19, वार्ड नं. 24, पंचशील नगर, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	36/1409-ए
16	श्री बट्टीसिंह, एमआईजी-1/19/323, इंदिरा नगर कॉलोनी, बरा, रीवा (म.प्र.).	13/1410-ए
17	श्री डी.एन. गुप्ता, 1540 गंगा नगर कॉलोनी, गढ़ा पुरवा, जबलपुर (म.प्र.).	33/1411-ए
18	श्री ओमप्रकाश थेपड़िया, म. नं. 286, महात्मागांधी मार्ग, अलीराजपुर, जिला झाबुआ (म.प्र.).	17/1780-ए
19	श्री दिलीप वैद्य, द्वारा-श्री रामचन्द्र वैद्य, 50 गुरू राजेन्द्र नगर, राजगढ़, जिला धार (म.प्र.).	22/1787-ए

(1)	(2)	(3)
20	श्री गोपाल अग्रवाल, मेसर्स जे. पी. इन्टरप्राइजेज, दोलतगंज, ग्वालियर (म.प्र.).	3/1789-ए
21	श्रीमती नैना नागवंशी, प्रो. नैना इलेक्ट्रिकल्स, एफ-13, राधाकृष्ण कॉम्प्लेक्स, झोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.).	28/1791-ए
22	श्री बी. एम. चन्दानी, प्रो. चन्दानी कन्सट्रक्शन कम्पनी, 3, हेप्पी कॉटेज, ईदगाह, भोपाल (म.प्र.).	28/1800-ए
23	श्री कोमलचन्द्र जैन, श्राहुल सदन, शास्त्री वार्ड, सुभाष नगर, सागर (म.प्र.).	10/1801-ए
24	श्री प्रदीप जैन, आर्य समाज रोड, शिवपुरी (म.प्र.).	5/1836-ए
25	श्री सुभाष एस. महोड़कर, एम.आई.जी. 104, अशोका पैलेस, अप्सरा टॉकीज के पास, रायसेन रोड, गोविन्दपुरा-भोपाल (म.प्र.).	28/1868-ए
26	श्री सीतादास शर्मा, 2, बिजली नगर, प्रायवेट कॉलोनी, गोविन्दपुरा-भोपाल (म.प्र.).	28/1876-ए
27	श्री सुरेश रावन्दे, अभिषेक ऑटो मोबाइल के पीछे, मोहगांव नाका, सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	36/1880-ए
28	श्री कैलाश सिंह राजपूत, 31, शालिनी रोड देवास (म.प्र.).	20/1881-ए
29	श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, म. नं. 596, शीतलामाई वार्ड, शीतलामाई मंदिर के पास, धमापुरा, जबलपुर (म.प्र.).	33/1903-ए
30	श्री अरूण कुमार शर्मा, 101, प्रियम अपार्टमेंट, 13वीं, लालाराम नगर, इन्दौर (म.प्र.).	23/1947-ए
31	श्री प्रेमनारायण जाट, ई. डब्ल्यू. एस. 56/256, इंदिरा नगर, आगर रोड, उज्जैन (म.प्र.).	18/1950-ए
32	श्री संतोष कुमार शर्मा, द्वारा-संतोष इलेक्ट्रिकल्स, 74, इतवारा रोड, भोपाल (म.प्र.).	1045-ए
33	श्री रवि नायर आ. श्री जी. के. नायर, एचआईजी-14, फेस-1, श्रीकृष्णपुरम, स्मरधा भोपाल (म.प्र.).	28/2402-ए
34	श्री चन्द्रभूषण यादव आ. श्री नन्नुलाल, मु. पो. चन्दनगांव, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	2424-ए
35	श्री विनोद तिवारी, प्रो. कंचन इलेक्ट्रिकल, 2-ए, कम्फर्ट रायल, अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल (म.प्र.).	2425-ए
36	श्री उजागर सिंह, पोस्ट-पाथाखेड़ा, जिला बैतूल (म.प्र.).	34/2473-ए
37	श्री संजयसिंह कुशवाहा, 34, सरस्वती नगर, 09.1,5-ए जी आफिस के पीछे, ग्वालियर (म.प्र.).	03-2479-ए

(1)	(2)	(3)
38	श्री गोपालदास मिश्रा, प्रो. श्री जी. इलेक्ट्रिकल्स, 40/3, इतवारा रोड, भोपाल (म.प्र.)	28/2519-ए
39	श्री कैलाशचन्द व्यास, ए/5/22, आवास नगर, देवास	20-2525-ए
40	श्री सुनब्बर खान, खान इलेक्ट्रिकल, तार वाली मस्जिद के पास, अशोकनगर (म.प्र.)	19/2529-ए
41	श्री संदीप कुमार तिवारी, रेडियो स्टेशन के सामने, शहडोल (म.प्र.)	14/2534-ए
42	श्री कोमलचन्द जैन आ. श्री अयोध्याप्रसाद जैन, सेवा निवृत्त-सहायक यंत्री, शांति नगर कॉलोनी, सिविल लाईन, टीकमगढ़ (म.प्र.).	10/2556-ए
43	श्री ओमप्रकाश कुम्हार आ. श्री घनश्यामदास कुम्हार, लिधौरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)	10/2558-ए
44	श्री मनोज पाटीदार आ. श्री किशोरीलाल पाटीदार, म.नं. 597, ग्रा. पो. नरवर, जिला उज्जैन (म.प्र.).	18/2600-ए
45	श्री राघवेंद्र सिंह, सिलपारा, पो. भटली, जिला-रीवा (म.प्र.)	23/2631-ए
46	श्री एस. एस. सिद्धकी आ. श्री शेख विसमिल्लाह, 74, बाबा फरीद नगर, खजराना, इन्दौर (म.प्र.).	23/2681-ए
47	मे. क्रियेशन इन्टरप्राइजेस, 18, प्रकाश नगर, अयोध्या बाईपास रोड भोपाल (म.प्र.).	28/3287-ए
48	श्री सुधीर बेण्डे, बेलगांव नाका, सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	36/3289-ए
49	श्री सुरेश कुमार ब्यास आ. श्री एन. पी. व्यास, 25 महावीर नगर, रेल्वे स्टेशन रोड, मण्डीदीप, जिला-रायसेन (म.प्र.).	26/3294-ए
50	श्री चरणजीत अरोरा, 36,37 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, आई.टी.आई. ग्राउण्ड, ए.बी. रोड देवास (म.प्र.).	20/3303-ए
51	मेसर्स राजीव इन्टरप्राइजेज, फल्हारी वाली गली, लोहिया बाजार, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)	03/3311-ए
52	मेसर्स शिवन्या कन्सट्रक्शन, आदर्श नगर, परासिया रोड छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	36/3355-ए
53	श्री निशान्त सिंह, प्रो. निशांत कन्सट्रक्शन, फ्लेट नं. 99, आशीर्वाद कॉलोनी, बंजारी, भोपाल (म.प्र.).	28/3357-ए
54	श्री नईमुद्दीन शेख, 39/1, पुराना राज मोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.)	23/3368-ए
55	श्री गौरव सिन्हा आ. श्री जंगबहादुर सिन्हा, बूढ़े बांलाजी हा. बोर्ड, कालोनी, म. नं. 19, वार्ड नं. 18, गुना (म.प्र.).	06/3376-ए
56	श्री धर्मेन्द्रसिंह ठाकुर, ग्राम-लिधौरा, तह. जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)	10/3379-ए

(1)	(2)	(3)
57	श्री जमाल अब्दुल नासिर खान, 115-ए. हजरत निजामुद्दीन कालोनी, बी.एच.ई.एल. भोपाल (म.प्र.).	28/3399-ए
58	श्री प्रवीण कुमार साहू, आ. श्री ईश्वरीप्रसाद साहू, म. नं. 169, पुराना छापाखाना, श्री अष्टभुजा मंदिर के सामने, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	36/3404-ए
59	मे. पावर कंट्रोल टेक्नॉलोजी, एमआईजी-366/9, बी-साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.)	28/3409-ए
60	श्री शोयब खान आ. श्री खाजू खान, द्वारा-एक्सिस प्रोजेक्ट 301 क्रिस्टल तीसरी मंजिल, 19/6, न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र.).	23/3417-ए
61	मे. बेरिगेट प्रोजेक्ट प्राय. लिमि., फ्लेट नं. 201, पवनी एन एक्स रोड नं. 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500032	यूएस./3418-ए
62	श्री महेश कुमार दातरे, ग्राम-इन्दरगढ़, जिला दतिया (म.प्र.)	07/3428-ए
63	श्री राजेन्द्रप्रसाद त्रिवेदी, एल-29, पुराना सुभाष नगर, भोपाल (म.प्र.)	28/3426-ए
64	श्री गिरीराज सिंघल, प्रो. मे. आदित्य मेगा एसोसियेट, महल कॉलोनी, पत्ता गोदाम के पीछे, शिवपुरी (म.प्र.).	05/3427-ए
65	श्री मुन्नालाल यादव, आ. श्री तुलसीराम यादव, लेहदरा नाका, भोपाल रोड, पीपल फैक्ट्री के पास, सागर (म.प्र.).	09/3431-ए
66	श्री बी. एल. कौरव, 821, सैनिक कॉलोनी, शहीद गुलाबसिंह, वार्ड नं. 56, शक्तिनगर, जबलपुर (म.प्र.).	33/3444-ए
67	श्री एस. एन. त्रिपाठी, डी-102, गौतम नगर, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.).	28/3453-ए
68	श्री इन्दरसिंह आ. श्री पर्वतसिंह, बागर्स मोहल्ला, ग्राम-सुरजनवासा, थाना-नरवर, जिला उज्जैन (म.प्र.).	18-3464-ए
69	श्री आर. के. राय, बिरसिंहपुर, जिला उमरिया (म.प्र.)	49/3466-ए
70	श्री विमलेन्द्र द्विवेदी, ग्राम-पुरैना, जिला रीवा (म.प्र.)	13/3468-ए
71	श्री प्रवीण किशोर मिश्रा, बी-11, आधार ताल, रमागोविन्द पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा (म.प्र.).	13/3469-ए
72	श्री राजकुमार काले, ग्राम-सर्ग तह. छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	36/3477-ए
73	श्री भरतलाल पटेल आ. श्री जगदीश पटेल, 75, 76 सुमन नगर, बीसी.एम. हाईट के पीछे, इन्दौर (म.प्र.).	23/3485-ए

(1)	(2)	(3)
74	श्री राजेश देशमुख, जागीरदार निवास, सुसनेर, जिला शाजापुर (म.प्र.)	30/3503-ए
75	मे. रूरल वैली इलेक्ट्रिक कम्पनी, 124/8, सिद्धार्थ नगर बिरला रोड, सतना (म.प्र.).	12/3522-ए
76	श्री इमरान फारूकी, नजीराबाद बस स्टाप के पास, सतना (म.प्र.)	12/3524-ए
77	श्री पी. श्रीनिवास राव, म. नं. 118, बी-इन्द्रपुरी पिपलानी-भोपाल (म.प्र.)	28/3528-ए
78	मे. हंस खाद भण्डार एण्ड साहू, प्रो. आनन्द कुमार साहू, ग्राम लिधौरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.).	10/3543-ए
79	श्री दिनेश तिवारी, म. नं. 1297, दया नगर, यादव कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.)	33/3561-ए
80	श्री अमरनाथ पाण्डेय, 212, अलंकार चेम्बर्स, ए/2 रतलाम कोठी, ए.बी. रोड इन्दौर (म.प्र.)	23/3569-ए
81	मे. कल्पवृक्ष इन्फ्रा स्टेट प्राय. लिमि., वार्ड क्र. 38, बालाजी नगर, अटेर रोड भिण्ड (म.प्र.)	02/3572-ए
82	मायटास इन्फ्रा लिमि., (मायटास) 106, एमआईजी महाश्वेता नगर, उज्जैन (म.प्र.).	18/3612-ए

सूची क्रमांक (तीन)

निम्नलिखित विद्युत् ठेकेदारी अनुज्ञप्तियां उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथि से विद्युत् ठेकेदार के स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की जा चुकी हैं

क्रमांक (1)	विद्युत् ठेकेदार का नाम / पता (2)	विद्युत् ठे. अनु. क्र. (3)	निरस्तीकरण दिनांक (4)
1	श्री अब्दुल सईद, म. नं. 2, जिन्सी पोस्ट आफिस के पास, भोपाल (म.प्र.).	193-ए	14-12-2012 मृत्यु दिनांक
2	श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत, म. नं. 3381, कटरा, गौरीशंकर मंदिर के सामने, जबलपुर (म.प्र.).	33/1454-ए	7-8-2013
3	श्री राहत खान, म. नं. एसपी/33, म.प्र.वि.मं. कॉलोनी, विरसिंहपुर, जिला उमरिया (म.प्र.).	14/1746-ए	31-12-2012
4	श्री करनसिंह, गोपालसिंह चौहान, भंडारिया रोड, जेल रोड चौराहा, होमगार्ड आफिस के पास, खण्डवा (म.प्र.).	25/1751-ए	20-3-2013
5	श्री लालूराम गुर्जर, 905/9 नन्दा नगर, इन्दौर (म.प्र.).	23/1998-ए	13-4-2013
6	श्री कुमुदचन्द गोरावाला, 26/ए, बलदेव बाग, जबलपुर (म.प्र.).	33/2158-ए	28-2-2013
7	श्री महेशचन्द्र शर्मा, एम.सी.एस. इले. कॉन्ट्रेक्टर, 66, रामानंद नगर, लालघाटी, भोपाल (म.प्र.).	28/2460-ए	25-2-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
8	श्री ऋषिकांत शुक्ला, 32, सुन्दर नगर, पोस्ट ऑफिस पिपलानी रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.).	28/2465-ए	18-7-2013
9	श्री संजय कुमार दुबे, 278, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.).	28/2477-ए	13-8-2013
10	श्री एजाज अहमद आ. श्री नियाज अहमद, द्वारा सिटी मैनुफेक्चरिंग, 17 मोनसा दरवाजा, उज्जैन (म.प्र.).	18/2614-ए	10-9-2013
11	श्री नितिन कुमार नेमा, एस.बी.आई के पास, बारा पत्थर, सिवनी (म.प्र.).	37/2657-ए	31-3-2013
12	श्री विवेक दुबे, 35/108, घोघर, रीवा (म.प्र.).	13/2667-ए	30-9-2012
13	श्री रणवीर सिंह आ. श्री एस.एस. राजपूत, इन्द्रप्रस्थ कालोनी, अहमदपुर रोड, जिला विदिशा (म.प्र.).	27/2715-ए	1-3-2013
14	मे. दीपकॉन इन्टरप्राइजेज, 46, राज सम्राट कॉलोनी फेस-2, जे. के. रोड, भोपाल (म.प्र.).	28/2731-ए	20-5-2013
15	श्री काशीप्रसाद दीक्षित, सेवानिवृत्त सहायक यंत्री, लाला का बाजार चौराहा, ग्वालियर (म.प्र.).	03/2812-ए	20-4-2013
16	श्री योगेश कुमार बाथरी आ. श्री शिवकुमार बाथरी, न्यूटन चिखली नं. 4, वार्ड नं. 8, तहसील-परासिया, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	36/3171-ए	15-7-2013
17	मे. अभिमोहन इंजी. सर्विस एण्ड साल्यूशन्स, एम-145, सेक्टर 3-डी, साकेत नगर, हबीबगंज भोपाल (म.प्र.).	28/3463-ए	04-9-2013
18	श्री शिवम् पटेल, म. नं. डी-4, प्रेम विहार कॉलोनी, गली नं 5, शंकर मंदिर के पास, प्रेम नगर, सतना (म.प्र.).	12/3506-ए	9-4-2013
19	श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, गुरू सुमीरन-1-आईना बंगले, अकबरपुरा, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).	28/3793-ए	31-1-2012
20	श्री पंकज जैन, वार्ड नं. 15, सोनी मोहल्ला, राज नगर, जिला-छतरपुर (म.प्र.).	08/3893-ए	27-9-2012
21	श्री पारस सिंह ठाकुर, अहमद नगर, गोपालगंज, सागर (म.प्र.).	09/3899-ए	2-2-2013

(1)	(2)	(3)	
22	श्री ठाकुरप्रसाद सूर्यवंशी, मु. पो. सिरगौरा, क्वा. नं. बी/23, तह. परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	36/4116-ए	8-1-2013
23	श्री सूरतसिंह चौहान, द्वारा-श्री निर्मल ताम्रकार, शिवाजी कॉलोनी, अम्बेडकर पार्क के पीछे, गंज मोहल्ला, मुर्दी, सीहोर (म.प्र.).	29/4266-ए	23-9-2013
24	श्रीमती दीपाली पटेल, मे. यूनिटेक इंजीनियर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन, 423, स्कीम नं. 59 अभितेश नगर, ए. बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.).	23/1603-ए	10-8-2013
25	मे. माँ शारदा इलेक्ट्रिकल्स, प्रो. श्री राजकुमार विश्वकर्मा, महर्षि कॉलोनी, मैहर, जिला सतना (म.प्र.).	12/3896-ए	21-12-2012
26	श्री अशोक कुमार भारती, सर्वोदय चौराहा, अमहा, सीधी (म.प्र.)	15/3415-ए	28-8-2012
27	श्री दिनेश तिवारी, म. नं. 1297, दया नगर, यादव कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.).	33/3561-ए	14-2-2013
28	श्री हेमेश बंसल, 103, भगवति अपार्टमेन्ट, 4 महादुर्गा नवलखा, इन्दौर (म.प्र.).	23/2825-ए	7-11-2012
29	श्री प्रमोद भावसार, 230 अभिनंदन नगर, विस्तार क्र. 1, मंदसौर (म.प्र.).	16/2432-ए	27-2-2012
30.	श्री के. पी. मिश्रा आ. श्री जे. पी. मिश्रा, म. नं. 823/92-बी, शारदा कॉलोनी (पवन भूमि) शक्ति नगर, जबलपुर (म.प्र.).	33/1479-ए	28-11-2011
31	इंजी. यू. डी. शर्मा आ. श्री जी. एल. शर्मा, सेवानिवृत्त अति. कार्यपालन यंत्री, म.प्र.वि.मं. कुसुमांजलि स्कूल, टिकुरिया टोला, सतना (म.प्र.).	12/2335-ए	31-8-2011
32	श्री अशोक कुमार जैन, 44 नवीन कॉलोनी, पी.टी. कैम्प के पीछे, राजगढ़ (म.प्र.).	31/2757-ए	19-10-2011
33	श्री बृजेश सिंह ठाकुर आ. श्री गौतमसिंह ठाकुर, संचार कॉलोनी, गुरैया रोड, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	36/4267-ए	3-10-2013

ए. के. दुबे, सचिव.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी
भोपाल, मध्यप्रदेश
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. 7982-2013-विपप्र.—प्रदेश के सभी अधिकारी/कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षाएँ उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हों, के लिए विभागीय परीक्षाएँ दिनांक 6 जनवरी, 2014 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:—

स. क्र. (1)	प्रश्न-पत्र का विषय (2)	समय (3)
सोमवार, दिनांक 6 जनवरी, 2014		
1	प्रश्न-पत्र—प्रथम दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2	प्रश्न-पत्र—पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित)	—तदैव—
3	प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
4	प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	—तदैव—
5	प्रश्न-पत्र पहला—सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये,	—तदैव—
59	प्रश्न-पत्र—विद्युत् संबंधी विधियों-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
6	प्रश्न-पत्र दूसरा—प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना) सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
7	प्रश्न-पत्र दूसरा—सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
8	प्रश्न-पत्र—समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
60	प्रश्न-पत्र—भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

(1)

(2)

(3)

मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी, 2014

- 9 प्रश्न-पत्र पहला — प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
- 10 प्रश्न-पत्र पहला-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-बी —तदैव—
- 11 प्रश्न-पत्र—पहला प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-सी —तदैव—
- 12 प्रश्न-पत्र—उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 13 प्रश्न-पत्र—खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 14 प्रश्न-पत्र प्रथम—लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये —तदैव—
- 61 प्रश्न-पत्र—विद्युत् संस्थापनाएं—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 15 प्रश्न-पत्र—दूसरा प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.
- 16 प्रश्न-पत्र—प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 17 प्रश्न-पत्र तीसरा— बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. —तदैव—
- 18 प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 19 प्रश्न पत्र द्वितीय-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 62 प्रश्नपत्र-लेखा व स्थापना, ऊर्जा विभाग के लिये. —तदैव—

बुधवार, दिनांक 8 जनवरी, 2014

- 20 प्रश्न-पत्र—तीसरा-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना- सामान्य प्रशासन राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
- 21 प्रश्न-पत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) वाणिज्यिक विभाग के अधिकारियों के लिए. —तदैव—
- 22 प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये. —तदैव—
- 23 प्रश्न-पत्र-पहला-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये. —तदैव—

(1)	(2)	(3)
24	प्रश्न-पत्र —“व्यवहारिक परीक्षा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
63	प्रश्न पत्र स्वच गेयर तथा संरक्षण-उर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
25	प्रश्नपत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया -वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
26	प्रश्नपत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
27	प्रश्नपत्र—“पुलिस शाखा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	—तदैव—
28	प्रश्नपत्र-दूसरा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक
29	प्रश्न पत्र तीसरा-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—तदैव—
30	प्रश्नपत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
31	प्रश्नपत्र-चौथा सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
32	प्रश्न पत्र समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए	—तदैव—
64	प्रश्नपत्र-विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंशूलेशन को-ऑर्डिनेशन व हैजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

गुरुवार, दिनांक 09 जनवरी, 2014

33	प्रश्न-पत्र प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) जिलाध्यक्षों, उप-जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
34	प्रश्न-पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
35	प्रश्न-पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
36	प्रश्न-पत्र—“न्यायिक शाखा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये. (बिना पुस्तकों के)	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
37	प्रश्न-पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित)—उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक

(1)	(2)	(3)
38	प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित)—आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
39	प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
40	प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
41	प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
66	प्रश्नपत्र—प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
42	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) उप-जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक.
43	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक.
44	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक.
67	प्रश्न-पत्र द्वितीय—लेखा (पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक.

शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी, 2014

45	प्रश्न-पत्र —लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
46	प्रश्न-पत्र प्रथम— लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
47	प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
48	प्रथम प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया प्रथम (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
49	प्रश्न-पत्र द्वितीय—मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
50	प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
65	प्रश्न-पत्र—पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
68	प्रश्न-पत्र तृतीय—महिला एवं बाल कल्याण—महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.

(1)	(2)	(3)
51	प्रश्न-पत्र—लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
52	प्रश्न-पत्र—लेखा प्रथम भाग-2, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2: 00 बजे से शाम 4: 00 बजे तक.
53	प्रश्न-पत्र—सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2: 00 बजे से शाम 4: 00 बजे तक.
54	प्रश्न-पत्र तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	दोपहर 2: 00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
55	द्वितीय—प्रश्न-पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
56	द्वितीय—प्रश्न-पत्र—लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
57	प्रश्न-पत्र तृतीय—अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2: 00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
69	प्रश्न-पत्र चतुर्थ—पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2: 00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

सोमवार, दिनांक 13 जनवरी, 2013

58	हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से 12: 00 बजे.
----	--	-------------------------------------

नोट :—

- उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
- सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें.
- सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स.-जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण-पत्रों को प्रशासन अकादमी, आर. सी. वी. पी. नरोन्हा, म. प्र., भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15 दिसम्बर 2013 तक भेजेंगे.
- जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
- परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदान की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है. एस.सी./एस.टी. दर्शाकर कोष्ठक में (प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.
- परीक्षा के संचालन में यदि परीक्षार्थी द्वारा अनुचित प्रक्रिया अपनाई जाती है तो संभागायुक्त द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर अकादमी को सूचित किया जावेगा.

गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

न्यायालय कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

प्रारूप-ख (नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

क्रमांक 14 /बी-121/2013-14 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि गैस परिवहन हेतु ग्राम हडहा तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबन्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-(1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के जिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	हडहा/छाता-65	64	0.208
			82	0.016
			83	0.037
			81	0.013
			84	0.274
			78	0.104

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			85 / 1, 85 / 2	0.038
			86	0.366
			87	0.018
			104	0.166
			88	0.188
			95	0.020
			96	0.057
			94	0.420
			93	0.060
			92	0.276
			6 / 1	0.044
			3 / 1, 3 / 2	0.356
			5 / 1, 5 / 2	1.866
			45	0.001
			44 / 1, 44 / 2	0.262
			11	0.170
			13	0.011
			12	0.058
			11 / 108	0.572
			58 / 1, 58 / 2	0.035
			51 / 1, 51 / 2, 51 / 3	0.451
			52 / 1, 52 / 2, 52 / 3, 52 / 4, 52 / 5, 52 / 6, 52 / 7, 52 / 8	0.161
			54	0.043
			64	0.016

प्रारूप—ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

क्रमांक 15/बी-121/2013-14 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में विर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-(1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	लालपुर/ लालपुर-64	2068	0.121
			2066 / 1, 2066 / 2, 2066 / 3, 2066 / 4, 2066 / 5, 2066 / 6, 2066 / 7, 2066 / 8, 2066 / 9	0.126
			2041	0.011
			2034	0.111
			2035	0.253
			2030	0.065
			2032 / 1, 2032 / 2, 2032 / 3	0.094
			2031 / 1, 2031 / 2,	0.167

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2031 / 3	
			2017	0.140
			2016 / 1, 1016 / 2	0.131
			2015	0.094
			2011	0.108
			2010	0.248
			2006	0.008
			2007 / 1 / 1, 2007 / 1 / 2, 2007 / 2, 2007 / 3, 2007 / 4	0.164
			2000	0.202
			1668	0.622
			10 / 1	0.305
			40 / 1 / क, 40 / 1 / ख, 40 / 1 / ग, 40 / 1 / घ, 40 / 1 / ङ, 40 / 2	1.059
			11 / 1, 11 / 2, 11 / 3	0.053
			34	0.401
			35	0.251
			83	0.004
			29	0.022
			82 / 1, 82 / 2	0.093
			79 / 1, 79 / 2, 79 / 3, 79 / 4	0.172
			78 / 1, 78 / 2, 78 / 3	0.062
			77 / 1, 77 / 2, 77 / 3, 77 / 4, 77 / 5	0.141
			76 / 1, 76 / 2, 76 / 3, 76 / 4	0.115
			75	0.161
			73	0.151
			72 / 1 / 1, 72 / 1 / 2, 72 / 1 / 3, 72 / 2, 72 / 3 / 1, 72 / 3 / 2	0.084
			70	0.207
			69	0.099
			101	0.147
			100 / 1 / क, 100 / 1 / ख, 100 / 1 / ग, 100 / 2, 100 / 3	0.064

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			102	0.220
			103	0.249
			109 / 1 / 1, 109 / 1 / 2, 109 / 1 / 3, 109 / 1 / 4, 109 / 1 / 5, 109 / 1 / 6, 109 / 1 / 7, 109 / 2 / 1, 109 / 2 / 2, 109 / 2 / 3	0.399
			116	0.226
			115	0.022
			152 / 1, 152 / 2, 152 / 3	0.016
			146	0.061
			147 / 1, 147 / 2 / 1, 147 / 2 / 2	0.176
			145 / 1 / 1 / 1, 145 / 1 / 1 / 2, 145 / 1 / 2 / 1, 145 / 1 / 2 / 2, 145 / 2 / 1, 145 / 2 / 2	0.056
			148	0.004
			197 / 1, 197 / 2	0.165
			149 / 1, 149 / 2	0.061
			177	0.721
			189 / 1, 189 / 2	0.137
			181 / 1, 181 / 2, 181 / 3	0.003
			172	0.072
			178	0.004
			179	0.121
			1615 / 1, 1615 / 2	0.094
			1614 / 1 / 1, 1614 / 1 / 2, 1614 / 1 / 3, 1614 / 2	0.005
			1617	0.083
			1610 / 1, 1610 / 2	0.029
			1618	0.197
			1609 / 1, 1609 / 2, 1609 / 3, 1609 / 4	0.045
			1606	0.015
			1604 / 1, 1604 / 2, 1604 / 3, 1604 / 4, 1604 / 5, 1604 / 6	0.428
			1603 / 1, 1603 / 2	0.108

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1601/1, 1601/2, 1601/3, 1601/4, 1601/5	0.344
			1600	0.066
			1599	0.058
			856/1/क, 556/1/ख, 856/1/ग, 856/2	0.209
			857/1, 857/2	0.134
			859/1, 859/2, 859/3	0.125
			858/1, 858/2, 858/3	0.069
			1587/1, 1587/2/1, 1587/2/2, 1587/3/1, 1587/3/2	0.155
			1586	0.054
			1585/1, 1585/2, 1585/3	0.175
			1584	0.249
			1774/1	0.063
			1775/1, 1775/2, 1775/3	0.139
			1776/1, 1776/2	0.097
			1565/1, 1565/2, 1565/3	0.137
			1566	0.004
			1568	0.009
			1778/1, 1778/2, 1778/3, 1778/4	0.275
			1779	0.001
			1559/1, 1559/2, 1559/3, 1559/4, 1559/5, 1559/6	0.014
			1814/2939	0.013
			1814	0.052
			1812	0.004
			1813	0.094
			1815	0.035
			1556	0.008
			1816/1, 1816/2	0.124
			1548	0.020
			1817	0.100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1542 / 1, 1542 / 2, 1542 / 3, 1542 / 4, 1542 / 5, 1542 / 6, 1542 / 7, 1542 / 8	0.275
			1537 / 1, 1537 / 2, 1537 / 3	0.150
			1536 / 1, 1536 / 2	0.015
			1535	0.004
			1821	0.075
			1822 / 2	0.183
			1518 / 1, 1518 / 2	0.118
			1517 / 1, 1517 / 2, 1517 / 3	0.035
			1824	0.004
			1825 / 2	0.031
			1988 / 1	0.570
			1939 / 1, 1939 / 2, 1939 / 3, 1939 / 4, 1939 / 5	0.646
			1938 / 1, 1938 / 2	0.160
			1937	0.032
			1936	0.125
			1935	0.061
			1866 / 2	0.091
			1934	0.057
			1883 / 1, 1883 / 2	0.424
			1882 / 1, 1882 / 2, 1882 / 3, 1882 / 4, 1882 / 5	0.004
			1887	0.266
			1888 / 1, 1888 / 2, 1888 / 3, 1888 / 4, 1888 / 5	0.076
			1880 / 1, 1880 / 2, 1880 / 3, 1880 / 4	0.001
			1890	0.124
			1878 / 1, 1878 / 2, 1878 / 3	0.157
			1877	0.069
			1876 / 1 / 1, 1876 / 1 / 2	0.011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1400 / 1, 1400 / 2 / क	0.121
			1401	0.012
			1386 / 1, 1386 / 2 / क, 1386 / 2 / ख, 1386 / 3	0.006
			1385 / 1, 1385 / 2	0.107
			1384	0.114
			1362	0.090
			1363	0.001
			1364 / 1, 1364 / 2, 1364 / 3, 1364 / 4	0.029
			1361	0.034
			1353 / 1, 1353 / 2	0.029
			1352	0.191
			1351	0.041
			1343 / 1 / क, 1343 / 1 / ख, 1343 / 1 / ग, 1343 / 2	0.082
			1342 / 1 / 1, 1342 / 1 / 2, 1342 / 1 / 3, 1342 / 2	0.080
			1339	0.148
			1338 / 1, 1338 / 2, 1338 / 3	0.235
				0.040
			1337	0.121
			2327	0.101
			2328 / 2	0.097
			2597	0.001
			2596	0.118
			2595	0.118
			2595	0.072
			2594	0.038
			2592 / 8	0.059
			2592 / 2	0.039
			2591	0.101
			2590	0.026
			2589	0.125
			2588 / 3	0.074
			2588 / 1	0.150
			2556 / 1, 2556 / 2, 2556 / 3	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1869	0.337
			1870	0.073
			1825 / 2	0.078
			1824	0.120
			1518 / 1, 1518 / 2	0.008
			1517 / 1, 1517 / 2, 1517 / 3	0.274
			1519	0.122
			1520 / 1 / 1, 1520 / 1 / 2, 1520 / 2	0.004
			1516	0.117
			1515	0.076
			1513	0.109
			1512	0.039
			1511	0.072
			1510	0.096
			1509	0.101
			1472 / 1 / क, 1472 / 1 / ख, 1472 / 2	0.059
			1496 / 1, 1496 / 2, 1496 / 3, 1496 / 4	0.286
			1132 / 1, 1132 / 2	0.017
			1471 / 1, 1471 / 2	0.066
			1470	0.003
			1468 / 1, 1468 / 2	0.181
			1467	0.036
			1135 / 1, 1135 / 2,	0.051
			1136	0.118
			1138	0.073
			1447 / 1, 1447 / 2	0.019
			1443 / 1, 1443 / 2, 1443 / 3	0.226
			1144 / 1, 1144 / 2, 1144 / 3	0.063
			1145	0.100
			1146	0.016
			1409	0.086
			1408	0.076
			1407	0.076
			1405	0.002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2215 / 2962	
			2235 / 2962	0.052
			2235 / 2963 / 1, 2235 / 2963 / 2, 2235 / 2963 / 3	0.094
			2235 / 2961	0.004
			2235 / 1, 2235 / 2, 2235 / 3, 2235 / 4, 2235 / 5	0.136
			2275	0.061
			2274	0.011
			2276	0.321
			2277	0.040
			2278	0.094
			2301	0.004
			2302 / 1, 2302 / 2	0.021
			2384 / 1, 2384 / 2, 2384 / 3	0.083
			2383 / 1, 2383 / 2, 2383 / 3	0.039
			2381 / 1, 2381 / 2	0.105
			2380 / 2 / 1, 2380 / 2 / 2	0.045
			2380 / 1	0.053
			2378	0.148
			2375 / 2 / 1, 2375 / 2 / 2	0.070
			2375 / 1	0.132
			2372 / 1, 2372 / 2, 2372 / 3	0.141
			2371 / 1, 2371 / 2, 2371 / 3	0.488
			2317	0.056
			2358 / 2	0.004
			2345	0.262
			2344	0.115
			2342 / 1 / 1, 2342 / 1 / 2 / क, 2342 / 1 / 2 / ख, 2342 / 2	0.318
			2329	0.004
			2330	0.238
			2336 / 1, 2336 / 2	0.075

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2332	0.088
			2334	0.193
			2588 /	0.017
			2589	0.004
			2556 / 1, 2556 / 2, 2556 / 3	0.034
			2633 / 1, 2633 / 2	0.167
			368 / 2 / 1, 368 / 2 / 2	0.178
			433 / 1, 433 / 2	0.161
			432 / 2, 432 / 3	0.065
			431 / 1, 431 / 2, 431 / 3	0.013
			425	0.061
			424	0.005
			426	0.024
			423	0.015
			427	0.081
			420 / 1, 420 / 2	0.012
			428	0.084
			478 / 1, 478 / 2	0.021
			477 / 1, 477 / 2	0.021
			479	0.127
			481 / 1, 481 / 2	0.049
			480 / 1, 480 / 2, 480 / 3, 480 / 4	0.129
			516	0.108
			519	0.132
			528	0.221
			523 / 1, 523 / 2, 523 / 3, 523 / 4	0.188
			527 / 1, 527 / 2	0.058
			526 / 1, 526 / 2	0.105
			545	0.094
			536	0.133
			535	0.082
			534	0.110
			533	0.004
			539	0.004
			2798	0.036
			2799	0.073

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2557	0.213
			2558	0.172
			2560	0.203
			2580	0.353
			2579	0.040
			2578	0.004
			2570	0.103
			2571 / 1	0.077
			2571 / 2	0.062
			2571 / 3	0.004
			2577	0.018
			2572	0.220
			2564	0.022
			2565 / 1, 2565 / 2, 2565 / 3, 2565 / 4, 2565 / 5	0.004
			2573	0.200
			2181	0.051
			2182 / 1, 2182 / 2, 2182 / 3	0.090
			2207	0.222
			2208 / 1, 2208 / 2, 2208 / 3	0.096
			2209	0.264
			2212 / 1, 2208 / 2, 2208 / 3	0.324
			2213	0.139
			2201 / 1 / क, 2201 / ख, 2201 / 1 / ग, 2201 / 2, 2201 / 3	0.023
			2200 / 1 / 1, 2200 / 1 / 2, 2200 / 2 / क, 2200 / 2 / ख	0.014
			2214	0.138
			2216 / 1 / 1, 2216 / 1 / 2, 2216 / 2	0.105
			2215 / 1, 2215 / 2, 2215 / 3, 2215 / 2961 / 1, 2215 / 2961 / 2, 2215 / 2961 / 3,	0.211

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2800	0.035
			2794	0.014
			2792	0.022
			2787	0.077
			2801	0.004
			2786	0.107
			2785	0.018
			2783	0.083
			2782 / 1 / 1, 2782 / 1 / 2, 2782 / 2, 2782 / 3	0.126
			2775	0.058
			2874 / 1, 2874 / 2, 2874 / 3	0.057
			2882	0.212
			2875 / 1, 2875 / 2 / 1, 2875 / 2 / 2, 2875 / 3, 2875 / 4, 2875 / 5, 2875 / 6, 2875 / 7, 2875 / 8	0.885
			2854	0.010
			2084	0.004
			2055	0.131
			2056	0.225
			2057	0.191
			2045	0.038
			2043 / 1, 2043 / 2	0.216
			2042 / 1, 2043 / 2	0.216
			2042 / 1, 2042 / 2	0.234
			2040	0.189
			2039	0.218
			2036 / 2	0.047
			2034	0.008
			2041	0.082
			2066	0.132
			625	0.018
			627	0.100
			628 / 1, 628 / 2	0.146
			622 / 1 / 1, 622 / 1 / 2, 622 / 2	0.377
			617 / 1, 617 / 2	0.014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			624 / 1, 624 / 2, 624 / 3	0.387
			625	0.158
			568 / 1, 568 / 2	0.186
			567 / 1, 567 / 2	0.126
			566	0.136
			249 / 1 / 1, 249 / 1 / 2, 249 / 2	0.280
			251	0.387
			273	0.187
			1038	0.004
			1046	0.056
			1047	0.102
			1053	0.172
			152	0.003
			1089	0.056
			1056	0.003
			1088 / 1, 1088 / 2	0.076
			1086	0.101
			1087	0.013
			1085 / 1, 1085 / 2	0.211
			1083	0.172
			1099 / 1, 1099 / 2, 1099 / 3, 1099 / 4	0.022
			1082	0.010
			1081	0.180
			1110 / 1, 1110 / 2	0.037
			1108	0.133
			1109 / 1, 1109 / 2	0.014
			1129	0.061
			1131 / 1, 1131 / 2	0.028
			1130	0.046
			1132 / 1, 1132 / 2	0.028
			1133 / 1, 1133 / 2	0.016
			1468 / 1, 1468 / 2	0.022
			1988 / 1	1.155
			2117	0.157
			1983	0.018
			1984	0.054
			447	0.034

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2830 / 1, 2830 / 2, 2830 / 3	0.056
			2842	0.090
			2841 / 1, 2841 / 2, 2841 / 3	0.067
			2864	0.047
			2862 / 1	0.085
			2862 / 6	0.037
			2862 / 5	0.046
			2862 / 3	0.048
			2862 / 3	0.068
			2862 / 4	0.030
			2861 / 1 / क, 2861 / 1ख, 2861 / 2	0.066
			2875 / 1, 2875 / 1 / 2, 2875 / 3, 2875 / 4, 2875 / 5, 2875 / 6, 2875 / 7, 2875 / 8	0.198
			2874 / 1, 2874 / 2, 2874 / 3	0.020
			2922	0.137
			2923 / 1, 2923 / 2, 2923 / 3, 2923 / 4, 2923 / 5	0.223
			2912 / 1 / 1, 2912 / 1 / 2, 2912 / 2, 2912 / 3	0.014
			2915	0.084
			2916 / 1, 2916 / 2	0.005
			2888 / 1, 2888 / 2, 2888 / 3, 2888 / 4, 2888 / 5	0.075
			2887	0.004
			2886	0.096
			2885	0.066
			2884 / 1 / 1, 2884 / 1 / 2, 2884 / 2	0.122
			2771	0.047
			2772	0.130
			2882	0.035
			2143	0.209

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2102 / 1 / क, 2102 / 1 / ख, 2102 / 2, 2102 / 3	0.341
			2103 / 1, 2103 / 2, 2103 / 3, 2103 / 4, 2103 / 5	0.112
			2104 / 1, 2104 / 2, 2104 / 3, 2104 / 4, 2104 / 5	0.231
			2122 / 1, 2122 / 2, 2122 / 3, 2122 / 4, 2122 / 5	0.267
			2124	0.087
			2125 / 1, 2125 / 2	0.096
			2183	0.202
			2168	0.183
			2182 / 1, 2182 / 2, 2182 / 3	0.442
			2207	0.105
			2169 / 1, 2169 / 2, 2169 / 3	0.005
			2174 / 1, 2174 / 2, 2174 / 3, 2174 / 4	0.031
			2177 / 1, 2177 / 2, 2177 / 3	0.111
			2176	0.145
			2170 / 1, 2170 / 2	0.220
			2169 / 1, 2169 / 2, 2169 / 3	0.111
			2181	0.058
			2507	0.025
			2505 / 1, 2505 / 2	0.232
			2502	0.112
			2500	0.149
			2468	0.066
			2467	0.011
			2469	0.042
			2472 / 1, 2472 / 2, 2472 / 3	0.147
			2475 / 1, 2475 / 2	0.082

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2474	0.080
			2392 / 1, 2392 / 2	0.037
			2393	0.105
			2391	0.047
			2384 / 1, 2384 / 2, 2384 / 3, 2384 / 4	0.139
			2383 / 1, 2383 / 2, 2383 / 3	0.178
			2381 / 1, 2381 / 2	0.002
			2538 / 1, 2538 / 2, 2538 / 3	0.308
			2540	0.038
			2539	0.166
			2426 / 1, 2426 / 2	0.009
			2541	0.042
			2542	0.276
			2339 / 1 / 1, 2339 / 1 / 2, 2339 / 2	0.108
			2340 / 1, 2340 / 2	0.048
			2341 / 1, 2341 / 2	0.124
			2342 / 1 / 1, 2342 / 1 / 2 / क, 2342 / 1 / 2 / ख, 2342 / 2	0.012
			275	0.048
			276	0.291
			277	0.135
			291 / 1, 291 / 2, 291 / 3	0.126
			290 / 1, 290 / 2	0.162
			289	0.043
			301	0.152
			304	0.004
			302	0.087
			318	0.040
			319	0.083
			325	0.029
			324	0.029
			323	0.075
			322 / 1, 322 / 2, 322 / 3	0.080
			329	0.045
			330	0.058

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			331	0.119
			336 / 1 / क, 336 / 1 / ख, 336 / 2, 336 / 3	0.225
			335 / 1, 335 / 2, 335 / 3	0.018
			367 / 1, 367 / 2	0.138
			368 / 2 / 1, 368 / 2 / 2	0.223
			2095	0.246
			2096 / 1, 2096 / 2	0.182
			2098	0.417
			2099 / 1, 2099 / 2, 2099 / 3 / क, 2099 / 3 / ख	0.269
			2100	0.184
			2102 / 1 / क, 2102 / 2, 2102 / 3	0.247
			2143	0.201
			1988 / 1	1.609
			1988 / 2	0.050
			1989 / 1, 1989 / 2	0.163
			1774 / 1 / ख	0.021
			2078	0.231
			2077	0.154
			2076	0.258
			2072	0.306
			2074	0.002
			2073	0.010
			2070	0.023
			2067	0.047
			2069	0.041
			2068	0.093

प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

क्रमांक 16 / बी-121 / 2013-14 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि गैस परिवहन हेतु ग्राम छाता तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम लालपुर तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-(1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	छाता/ छाता-65	67 / 1, 67 / 2, 67 / 3	0.002
			66	0.028
			55	0.001
			54	0.171
			53	0.005
			51	0.194
			50	0.273
			41	0.017

प्रारूप—ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

क्रमांक 17 / बी-121/2013-14 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सोनवर्षा तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में विर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-(1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पट वारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	सेनवर्षा/छाता-65	4	0.122
			11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7	0.351
			12	0.015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			14	0.021
			18	0.075
			17	0.161
			19	0.034
			38	0.083
			45	0.004
			37	0.146
			32/1/1, 32/1/2, 32/1/3, 32/2	0.018
			36/1, 36/2	0.101
			35	0.147
			34	0.004
			53/2, 53/3	0.082
			54	0.019
			64	0.158
			65	0.156
			78/2/क, 78/2/ख, 78/3/1, 78/3/2	0.354
			76	0.244
			77	0.097
			75	0.002
			81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 81/9, 81/10, 81/11, 81/12, 81/13, 74/332	1.100
			74/1, 74/2	0.130
			82	0.163
			83	0.242
			86	0.062
			87	0.050
			88	0.153
			293	0.024
			295/2, 295/3, 295/4, 295/5	0.108
			306	0.150
			311/2, 311/3	0.388
			314/1, 314/2, 314/3	0.035
			211/1, 211/2, 211/3/क, 211/3/ख,	0.148

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			211/4/क, 211/4/ख, 211/5, 211/6/क, 211/6/ख, 211/7	
			27	0.054
			24	0.159
			23	0.150
			23/331	0.002
			22	0.125
			11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7	0.352
			10	0.103
			9	0.053
			5	0.031
			4	0.149
			189	0.004
			190	0.078
			191	0.254
			196	0.065
			193	0.152
			194	0.049
			59	0.080
			58	0.004
			61	0.072
			62	0.004
			79	0.004
			78/2/क, 78/2/ख, 78/3/1, 78/3/2	0.160
			226/1, 226/2, 266/3	0.021
			227	0.243
			282/2	0.177
			283/2, 283/3, 283/4, 283/5	0.147
			294	0.008
			295/2, 295/3, 295/4, 295/5	0.144
			236/1, 236/2	0.022
			232	0.002
			228	0.032
			279	0.013
			280/1, 280/2	0.022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			281 / 2, 281 / 3, 281 / 4, 281 / 5	0.225
			295 / 2, 295 / 3, 295 / 4, 295 / 5	0.585
			294	0.029
			293	0.188
			292	0.069
			291 / 1, 291 / 2	0.078
			304 / 2, 304 / 3	0.028
			303	0.004

प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

क्रमांक 10 / बी-121 / 2013-14 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबन्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-(1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	पिपरतारा/ छाता-65	4 / 1, 4 / 2	0.086
			5	0.002
			6	0.006
			7	0.065
			8	0.044

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			9	0.107
			12	0.050
			11	0.074
			13	0.180
			17	0.001
			16	0.124
			15 / 1, 15 / 2, 15 / 3	0.049
			18 / 1, 18 / 2	0.249
			21	0.160
			24	0.068
			25 / 1, 25 / 2	0.076
			41 / 1, 41 / 2	0.136
			31	0.044
			32	0.007
			34	0.009
			40	0.256
			43	0.061
			44	0.100
			51	0.074
			52 / 1, 52 / 2	0.179
			58 / 1, 58 / 2	0.161
			56 / 1, 56 / 2	0.009
			59 / 1, 59 / 2	0.048
			60	0.010
			61 / 1 / क, 61 / 1 / ख	0.012
			100 / 1, 100 / 2, 100 / 3 / क / 1, 100 / 3 / क / 2, 100 / 3 / ख	0.180
			70	0.118
			71	0.187
			72 / 1, 72 / 2	0.056
			78 / 1, 78 / 2	0.326
			93	0.179
			84 / 1, 84 / 2, 84 / 3, 84 / 4	0.598
			85	0.001
			86	0.001
			91	0.001

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2013

क्र. गन्ना-एस.-3-क्षे. रा.-2013-चौदह-502.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2013-2014 हेतु कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या., नारायणपुरा (राघौगढ़), जिला गुना, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ:—

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	गुना	आवन	22	261.000
2	गुना	राघौगढ़	14	60.500
3	गुना	रुठियाई	18	276.100
4	गुना	मधूसूदनगढ़	23	78.000
5	गुना	बीनार्गज	43	68.900
6	गुना	गुना	31	171.200
7	गुना	म्याना	10	17.100
8	गुना	झागर	17	13.700
9	गुना	बरखेड़ाहाट	5	19.000
10	गुना	रामपुर (आरोन)	16	47.500
11	अशोक नगर	अशोक नगर	21	91.000
12	अशोक नगर	सिकन्दरा	17	112.900
13	अशोक नगर	ताराई	11	40.000
14	अशोक नगर	शाढोरा	11	71.700
15	अशोक नगर	ईशागढ़	24	173.100
16	अशोक नगर	सारसखेड़ी	12	72.000
17	अशोक नगर	अचलगढ़	16	176.600
18	अशोक नगर	चन्देरी	10	50.300
19	अशोक नगर	बहादुरपुर	18	64.800
20	विदिशा	सिरोंज	35	306.000
21	शिवपुरी	कोलारस	20	50.900
योग . .			394	2222.300

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या.

नारायण पुरा (राघौगढ) जिला-गुना (म.प्र.)

क्रय केन्द्रों की जिलेवार सूची वर्ष 2013-14 गन्ना क्षेत्र आरक्षण

केन्द्र- आवन , जिला-गुना						
क्रमांक	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	रामपुरा	1	0.000	1.000	1.000	8
2	गावरी	11	3.600	6.200	9.800	7
3	पीपल्या	16	4.800	7.800	12.600	10
4	दीतलवाडा	40	11.300	21.100	32.400	11
5	मोहम्मद पुर	3	1.400	0.600	2.000	7
6	सुन्दर खेडी	32	12.500	13.300	25.800	5
7	पार्वती चौकी	2	0.000	2.200	2.200	6
8	सरांय	8	1.700	2.800	4.500	5
9	प्रेमगढ	29	9.000	13.900	22.900	7
10	पारकना	70	29.800	29.700	59.500	8
11	वैराखेडी	26	13.900	12.200	26.100	4
12	वरखेडी महाराजा	12	0.000	7.600	7.600	5
13	सारसहेला	1	0.000	0.600	0.600	6
14	आवन	7	7.800	8.400	16.200	7
15	गोविन्द पुरा	10	1.800	8.100	9.900	5
16	नारायण पुरा	4	3.600	4.000	7.600	1
17	सांकोन्वा	4	2.800	2.600	5.400	3
18	नीमखेडी	9	1.600	3.800	5.400	7
19	मुहासा	1	0.000	1.000	1.000	6
20	फादलपुर	5	5.300	0.000	5.300	10
21	कंजरपुरा	1	1.000	0.000	1.000	8
22	सागर (वरखेडा)	4	2.200	0.000	2.200	10
	योग	296	114.10	146.90	261.00	
केन्द्र- राघौगढ , जिला-गुना						
क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	वसंतपुरा	1	2.000	0.000	2.000	22
2	सांवत खेडी	5	5.000	1.800	6.800	14
3	मेरखेडी	10	4.300	10.200	14.500	10
4	राजपुरा	2	0.000	1.600	1.600	10
5	रामनगर	3	0.700	0.900	1.600	15
6	खजूरी	1	0.000	0.200	0.200	20
7	मोती पुरा	5	3.800	4.500	8.300	18
8	फेकरा	5	0.800	3.100	3.900	22
9	सुआ खेडी	9	2.600	4.000	6.600	22
10	राघौगढ	2	0.000	0.700	0.700	20
11	नादेर	1	0.000	0.300	0.300	30

12	पीलाघाट	2	4.500	4.800	9.300	20
13	बरेया खेडा	3	0.700	2.300	3.000	20
14	पीपलखेडी	1	1.200	0.500	1.700	22
	योग	50	25.600	34.900	60.500	

केन्द्र- रूठियाई , जिला-गुना

क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	दावत पुरा	5	5.000	3.500	8.500	30
2	भुलाय	124	79.700	126.000	205.700	38
3	लाड पुरा	2	0.000	0.800	0.800	22
4	पगारा	1	0.600	0.400	1.000	20
5	रूठियाई	2	0.000	3.000	3.000	22
6	डोंगर	2	0.000	0.600	0.600	20
7	विजय पुर	1	1.000	0.000	1.000	21
8	कोटरा	8	3.900	4.100	8.000	35
9	बालाभेट	7	3.200	4.600	7.800	35
10	घरनावदा	2	0.000	0.800	0.800	35
11	भैरो पुरा	5	0.000	5.400	5.400	40
12	सन्नोतिया	2	0.000	1.200	1.200	35
13	सरवर पुर	2	0.000	1.400	1.400	40
14	वमूरिया	4	2.000	2.400	4.400	40
15	उदय पुरी	30	5.400	19.500	24.900	35
16	खिरिया	1	0.000	0.400	0.400	35
17	उमरिया	1	0.200	0.000	0.200	22
18	कक्वासा	1	1.000	0.000	1.000	35
	योग	200	102.000	174.100	276.100	

केन्द्र- मधुसूदनगढ , जिला-गुना

क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	गणेश पुरा	9	2.400	5.800	8.200	22
2	पीपल खेडी	6	0.200	2.800	3.000	16
3	धीना खेडी	1	0.600	0.400	1.000	34
4	किशन गढ	1	0.000	0.600	0.600	22
5	जामनेर	5	5.200	0.400	5.600	25
6	दौलत पुरा	7	3.800	2.200	6.000	23
7	शंकर पुरा	6	1.400	3.000	4.400	40
8	परेवा	7	1.600	0.800	2.400	23
9	टोडरा	5	2.200	1.200	3.400	22
10	गंगापुरा	1	0.600	0.000	0.600	30
11	एमना खेडी	1	0.000	0.600	0.600	50
12	सालोय	32	12.000	16.400	28.400	18
13	वील खेडा	2	0.000	0.800	0.800	50
14	मधुसूदन गढ	1	0.200	0.000	0.200	40
15	बलखेडा	2	1.000	0.000	1.000	50
16	हरिपुरा	1	0.600	1.000	1.600	25

17	चैनपुरा	1	0.600	0.800	1.400	25
18	गोचाआमल्या	2	1.600	1.200	2.800	20
19	शीतलपुर	1	1.400	0.000	1.400	25
20	जांगरू	2	2.000	0.000	2.000	35
21	वडाआमल्या	1	0.800	0.000	0.800	18
22	नागनखेडी	1	0.800	0.000	0.800	65
23	चौडाखेडी	1	1.000	0.000	1.000	20
	योग	96	40.000	38.000	78.000	
केन्द्र- बीनागंज , जिला-गुना						
क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	अरन्या	1	0.000	0.400	0.400	27
2	लहरवा	1	0.000	0.300	0.300	25
3	नारायण पुरा	9	0.400	1.200	1.600	34
4	लाछेनी	3	1.200	0.600	1.800	32
5	हिंगोनी	1	0.000	0.400	0.400	42
6	कोन्या कलां	1	0.000	0.400	0.400	35
7	तेलीगांव	4	0.000	1.300	1.300	40
8	बनेट	4	5.400	0.500	5.900	25
9	नैनवास	2	0.200	0.100	0.300	42
10	वटावदा	2	0.000	0.600	0.600	41
11	खटकिया	6	2.900	1.200	4.100	8
12	ऊपरी	9	6.800	2.400	9.200	14
13	चक ऊपरी	9	4.500	2.900	7.400	16
14	केशोपुरा	2	0.000	0.400	0.400	30
15	काना खेडी	6	0.000	6.400	6.400	18
16	कुर वाई	2	0.000	0.500	0.500	24
17	बलंगखेडी	1	0.400	0.000	0.400	22
18	बंदरई	1	0.400	0.000	0.400	30
19	मृगवास	8	0.500	3.000	3.500	38
20	पटना खेडी	1	0.000	0.800	0.800	37
21	सांकाकला	6	2.200	4.200	6.400	21
22	सांगनपुर	1	0.500	0.000	0.500	23
23	गंगापुरा(ऊपरी)	1	0.000	1.800	1.800	15
24	कैकडया खुर्द	1	0.000	0.800	0.800	25
25	कैकडया कलां	1	0.400	0.600	1.000	24
26	सौरती	1	0.000	0.600	0.600	45
27	बकान्या	1	0.800	0.000	0.800	30
28	पीपलखेडी डांग	1	0.000	0.400	0.400	32
29	पैची	1	0.000	0.200	0.200	30
30	जतावा	1	0.000	0.400	0.400	40
31	वडागांव	1	1.000	0.000	1.000	38
32	नाईपुरिया	1	0.000	0.600	0.600	35
33	बहुखेडी	1	0.500	0.000	0.500	26
34	चन्दीपुर	1	0.000	0.400	0.400	42
35	झीकनी	1	0.500	0.400	0.900	45
36	कटकला	1	0.400	0.600	1.000	55

37	स्रजूरी	9	0.600	2.300	2.900	35
38	आकोल्या	1	0.000	0.400	0.400	38
39	खानपुरिया	1	0.000	0.300	0.300	35
40	जावर	1	0.000	0.400	0.400	50
41	सादला	1	0.000	0.400	0.400	55
42	रायपुरा(मृगवास)	2	0.000	0.600	0.600	35
43	रामपुरया	1	0.000	0.500	0.500	18
	योग	110	29.600	39.300	68.900	
केन्द्र- गुना , जिला-गुना						
क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	सिंगवासा	2	2.000	2.000	4.000	45
2	मावन	2	0.100	0.300	0.400	52
3	पिपरीदा कला	2	0.800	0.400	1.200	53
4	पीतम पुर	6	5.000	13.000	18.000	56
5	देवरीमार	1	0.000	0.300	0.300	65
6	कोलुआमार	1	0.000	0.300	0.300	66
7	कुशमौदा	1	0.600	0.200	0.800	41
8	नयागाँव	1	0.000	0.300	0.300	52
9	बरोदिया खुर्द	42	9.700	13.800	23.500	53
10	नेगमा	16	1.200	0.600	1.800	51
11	हनुमत पुरा	3	0.100	1.100	1.200	58
12	पाटई	2	4.000	1.400	5.400	55
13	तिल्ली खेडा	31	3.300	3.500	6.800	64
14	कमलापुर सरखण्डी	31	18.600	54.200	72.800	60
15	माहौर	2	0.200	0.300	0.500	64
16	भिडरा	7	0.500	0.600	1.100	65
17	मुहाल पुर	13	1.700	1.700	3.400	47
18	विनायक खेडी	3	0.400	0.800	1.200	47
19	नोहर	4	0.000	0.900	0.900	60
20	छीपाने चक्क	3	0.400	1.600	2.000	58
21	सरखो	12	1.400	4.100	5.500	62
22	रसूल पुर	1	0.000	0.200	0.200	62
23	बरखेडा गिर्द	8	1.000	1.200	2.200	58
24	लोहपाल	2	0.000	0.200	0.200	62
25	परसौदा	36	6.500	5.800	12.300	63
26	सिरसी कला	1	0.600	0.000	0.600	61
27	गेंहूँखेडा गिर्द	2	0.000	0.300	0.300	56
28	खिरिया	1	1.400	1.000	2.400	65
29	चीरखेडा	1	0.000	0.500	0.500	60
30	पगारा	2	0.700	0.000	0.700	52
31	सिरसी खुर्द	2	0.000	0.400	0.400	62
	योग	241	60.200	111.000	171.200	

केन्द्र- म्याना , जिला-गुना						
क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	घमनार	2	0.400	0.000	0.400	62
2	गाजीपुर	1	0.000	0.200	0.200	75
3	बरखेडा टैकनी	1	2.600	0.000	2.600	65
4	हुंगासरा	3	0.400	0.200	0.600	69
5	अजलेश्वर	2	1.000	2.000	3.000	104
6	गौरा	1	0.600	0.000	0.600	60
7	सगोरिया	4	0.400	0.700	1.100	71
8	वैघाई	7	1.000	7.000	8.000	100
9	गुरवाईखेडा	1	0.400	0.000	0.400	92
10	नईसराय	1	0.200	0.000	0.200	100
	योग	23	7.000	10.100	17.100	
केन्द्र- झागर , जिला-गुना						
क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	वैरखेडी	3	0.400	0.400	0.800	59
2	मुराद पुर	3	0.000	1.300	1.300	65
3	शेख पुर	2	0.000	1.100	1.100	63
4	घानन खेडी	1	0.300	0.000	0.300	67
5	परवाह	1	0.300	0.200	0.500	76
6	सामर सिंगा	1	0.000	0.200	0.200	65
7	पीरू खेडा	3	0.000	0.900	0.900	74
8	सूजाखेडी	3	0.000	0.800	0.800	65
9	आंतरसूना	1	0.800	0.400	1.200	63
10	भूराखेडी	3	1.000	0.700	1.700	70
11	अमरदा	1	0.000	0.200	0.200	83
12	भिडरा	1	0.000	0.200	0.200	81
13	झिरी	2	0.000	0.400	0.400	80
14	मछरया	3	0.000	1.100	1.100	55
15	कराखेडा	1	0.200	0.600	0.800	60
16	मगरोडा	3	1.200	0.500	1.700	55
17	गणेशपुरा	1	0.000	0.500	0.500	92
	योग	33	4.200	9.500	13.700	
केन्द्र- बरखेडाहाट , जिला-गुना						
क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	भादौर	1	0.000	0.200	0.200	64
2	बरखेडाहाट	3	0.000	0.800	0.800	55
3	सेमरा खुर्द	4	1.200	1.300	2.500	65
4	आरोन	8	1.700	8.500	10.200	42
5	सिरसी	3	0.400	4.900	5.300	52
	योग	19	3.300	15.700	19.000	

केन्द्र- रामपुर , जिला-गुना						
क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	हिनोतिया	2	1.000	0.500	1.500	66
2	रहीमपुर	4	2.000	1.300	3.300	60
3	बंदीपुर	3	0.600	1.300	1.900	65
4	मोहन खेडी	2	0.600	0.400	1.000	70
5	करई खेडा	6	1.200	3.300	4.500	61
6	रायपुर	4	0.000	0.500	0.500	61
7	बकान	5	1.000	1.800	2.800	54
8	परासरी	1	0.000	2.000	2.000	57
9	हुसैनपुर	16	5.500	14.300	19.800	81
10	शाह पिपरिया	1	1.000	3.400	4.400	90
11	कुन्दौली	3	0.400	1.000	1.400	102
12	गेहूँ खेडा	1	0.000	0.200	0.200	70
13	शहबाजपुर	1	0.000	2.000	2.000	75
14	मातामूडरा	1	0.400	0.000	0.400	62
15	देहरीकला	1	1.200	0.000	1.200	55
16	गोविन्दपुर	1	0.600	0.000	0.600	60
	योग	52	15.500	32.000	47.500	
केन्द्र- अशोकनगर , जिला-अशोकनगर						
क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	अशोकनगर	1	0.000	0.200	0.200	88
2	उमरिया माफी	1	1.600	2.000	3.600	101
3	कजराई	1	0.000	0.200	0.200	103
4	कुन्दौली	1	0.000	1.200	1.200	102
5	खडीचरा	11	9.600	19.000	28.600	101
6	मनक पुर	4	0.000	2.200	2.200	90
7	पिपनावदा	5	0.200	2.500	2.700	96
8	पंवार गढ	4	2.000	3.600	5.600	92
9	वामौरी भीमा	6	3.600	8.800	12.400	98
10	वरखेडा लाल	5	1.000	6.500	7.500	102
11	खंवर	1	1.000	1.000	2.000	95
12	भादौन	1	0.400	0.400	0.800	101
13	सागर (वरिया चक)	4	3.000	7.000	10.000	103
14	सलमाई	3	0.000	1.600	1.600	101
15	खिरिया गुम	1	0.000	3.200	3.200	106
16	हिन्चौदा	1	0.800	1.600	2.400	87
17	छपराई	1	0.000	0.400	0.400	108
18	वेरखेडी तूमन	1	0.000	2.000	2.000	102

19	पीपल खेड़ा	3	0.400	1.800	2.200	93
20	सहोदरी	1	0.000	1.000	1.000	98
21	नानकपुर	1	0.000	1.200	1.200	106
	योग	57	23.600	67.400	91.000	
केन्द्र- सिकन्दरा , जिला-अशोकनगर						
क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	अमाही	3	0.000	3.000	3.000	94
2	आमखेड़ा	2	0.000	1.200	1.200	101
3	घरोई	4	2.800	3.000	5.800	93
4	खजूरियां कला	2	2.000	1.600	3.600	103
5	जलालपुर	26	4.700	15.600	20.300	93
6	महुआ खेड़ा	2	0.000	1.200	1.200	106
7	मोहरीराय	4	1.800	2.400	4.200	89
8	नगेश्री	12	4.000	9.100	13.100	92
9	शहवाजपुर	4	0.000	3.200	3.200	101
10	सिकन्दरा	27	6.900	19.000	25.900	92
11	तूमैन	13	0.400	12.800	13.200	96
12	घतूरिया	1	0.000	0.600	0.600	96
13	जुग्या	3	0.000	4.200	4.200	101
14	भेदुआ	1	0.000	1.000	1.000	104
15	सुमेर	9	6.000	3.800	9.800	101
16	मढ़ी तूमैन	3	0.000	1.400	1.400	94
17	कौर्या बुढ़	3	0.000	1.200	1.200	101
	योग	119	28.600	84.300	112.900	
केन्द्र- तारई , जिला-अशोकनगर						
क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	सीगोन	3	1.200	2.400	3.600	110
2	खैराई	2	1.400	4.800	6.200	102
3	मर्दन खेडी	1	0.400	0.800	1.200	111
4	कुकरेख	2	0.600	6.000	6.600	111
5	मूडय कला	3	0.400	2.600	3.000	112
6	होंगर	2	0.400	2.200	2.600	110
7	जियाजीपुर	4	0.400	4.200	4.600	111
8	तारई	2	1.600	3.000	4.600	103
9	महोली	1	1.000	0.000	1.000	112
10	भरिया खेडी	1	0.000	0.800	0.800	102
11	नीमखेड़ा	4	1.800	4.000	5.800	120
	योग	25	9.200	30.800	40.000	

केन्द्र- शाबौरा , जिला-अशोकनगर						
क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	भौसले गाँव	11	0.600	29.800	30.400	69
2	सेजी	4	1.400	1.600	3.000	67
3	पीली घट	4	0.000	10.000	10.000	66
4	सिलावन	3	0.600	5.700	6.300	74
5	वगुल्या	6	0.000	4.100	4.100	80
6	चारौदा	3	0.000	6.500	6.500	70
7	सेमरी लोहवाड	1	0.400	0.000	0.400	70
8	गरेय	3	0.000	3.500	3.500	107
9	चकचिरोली	3	0.000	1.500	1.500	82
10	वल्दाई	2	0.000	5.000	5.000	73
11	फरदाई	3	0.400	0.600	1.000	78
	योग	43	3.400	68.300	71.700	
केन्द्र- ईसागढ , जिला-अशोकनगर						
क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	जमडेरा	1	7.200	15.000	22.200	130
2	ईसागढ	3	0.000	2.600	2.600	120
3	महुअन	3	0.000	4.000	4.000	129
4	दाकोनी	10	5.400	13.000	18.400	116
5	राजाडेहर	1	0.000	0.800	0.800	126
6	नरसू खेडी	8	1.400	11.000	12.400	115
7	कुलवार	2	0.100	2.400	2.500	118
8	कुम्हरिया	1	2.000	1.600	3.600	114
9	कवीरी	8	3.800	7.000	10.800	118
10	इमड़ेरा	4	0.000	2.600	2.600	126
11	कालीटोर	2	1.200	4.200	5.400	119
12	शंकरपुर	2	0.600	1.600	2.200	120
13	श्यामा टेरी	2	2.400	5.400	7.800	119
14	करौंदी	24	0.000	25.600	25.600	120
15	डेगा(मोवार)	1	0.400	0.000	0.400	126
16	शाहपुर	5	0.600	5.400	6.000	120
17	लहदपुर	1	1.200	4.000	5.200	121
18	शीतलपुर	11	4.000	8.800	12.800	121
19	ध्यानपुर	1	0.200	0.600	0.800	122
20	भियाखेडी	4	8.000	6.000	14.000	133
21	पाठखेडा	2	0.000	1.600	1.600	110
22	हैदर	3	0.000	2.200	2.200	118
23	जंधार	1	0.000	1.000	1.000	130
24	भौरा	4	0.000	8.200	8.200	138
	योग	104	38.500	134.600	173.100	

केन्द्र- सारसखेड़ी , जिला-अशोकनगर						
क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	रुहाना	5	0.000	6.000	6.000	105
2	सेमर खेड़ी	7	7.000	12.000	19.000	106
3	राजतला	2	5.400	3.000	8.400	102
4	जनोदा	1	0.000	1.200	1.200	106
5	महाना	1	0.000	1.000	1.000	102
6	पिपरेसरा	2	0.000	3.000	3.000	115
7	चन्दन देहटा	5	3.200	5.400	8.600	102
8	कन्नेरा	2	0.000	2.000	2.000	106
9	सान्दोह	3	0.000	3.000	3.000	117
10	फुटेरा	3	7.800	10.000	17.800	108
11	कुययला	1	0.000	1.000	1.000	125
12	गोविन्दपुर	1	0.000	1.000	1.000	130
	योग	33.000	23.400	48.600	72.000	
केन्द्र- अचलगढ , जिला-अशोकनगर						
क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	अचलगढ	41	21.600	57.600	79.200	128
2	देवपुर	1	0.000	0.800	0.800	135
3	सिंगारदा	3	1.000	12.000	13.000	130
4	कालपीचक	2	0.000	3.600	3.600	130
5	हंसनगर	7	6.200	12.400	18.600	132
6	जनकपुर खिरिया	1	0.000	0.400	0.400	136
7	टिमचौली	3	2.600	1.600	4.200	139
8	पारकना	2	0.000	4.600	4.600	142
9	सहराई	4	0.000	7.200	7.200	134
10	पट्टरी	2	1.000	1.200	2.200	142
11	कारातला	1	0.000	1.200	1.200	138
12	मूडरी	3	5.000	3.000	8.000	124
13	केनवारा	4	4.400	14.800	19.200	128
14	खोरीवरी	1	4.000	2.800	6.800	123
15	चिरोली	1	1.600	3.200	4.800	145
16	पिपरई	1	2.800	0.000	2.800	120
	योग	77	50.200	126.400	176.600	
केन्द्र- चन्देरी , जिला-अशोकनगर						
क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	खलीलपुर	2	1.000	3.200	4.200	135
2	मीठखेडा	2	1.200	0.200	1.400	161
3	कुरवासा	1	2.400	0.000	2.400	137
4	नावनी	11	11.600	18.100	29.700	155
5	नयाखेडा	2	1.800	0.600	2.400	145
6	दंडेरा	3	0.000	0.700	0.700	155
7	मोहनपुर	3	0.900	0.400	1.300	157

8	जारसल चक्क	10	4.100	2.300	6.400	153
9	लकइया	1	1.000	0.000	1.000	155
10	गोराकला	2	0.800	0.000	0.800	160
	योग	37	24.800	25.500	50.300	
केन्द्र- बहादुरपुर , जिला-अशोकनगर						
क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	कुम्हरा	1	2.000	0.000	2.000	135
2	भेडका	5	0.000	6.000	6.000	151
3	वरी	5	6.200	9.200	15.400	135
4	रमपुरा	4	1.400	3.400	4.800	155
5	हाजुखेडी	2	2.800	4.000	6.800	130
6	गीलारोपा	2	0.000	1.800	1.800	125
7	नेकहाई	1	1.200	2.000	3.200	123
8	बगवा	2	1.800	5.000	6.800	138
9	मूडरा खाना	1	0.800	1.600	2.400	105
10	बिजलीपुर	1	0.000	0.800	0.800	110
11	हांसली	1	0.000	1.000	1.000	137
12	पिपरिया	1	0.000	5.000	5.000	134
13	दुंडेर	1	0.000	0.400	0.400	101
14	बमौरी शाला	3	1.000	3.600	4.600	175
15	वाघुखेडा	1	0.000	1.200	1.200	154
16	दमदमा	1	0.000	1.200	1.200	130
17	इक्केदिया	1	0.600	0.000	0.600	133
18	वरखेडा	1	0.800	0.000	0.800	140
	योग	34	18.600	46.200	64.800	
केन्द्र- सिरोंज , जिला-विदिशा						
क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	नेवली	5	2.000	2.000	4.000	63
2	लटेरी	3	1.000	2.000	3.000	70
3	गोपी तलैया	8	4.000	4.000	8.000	81
4	मोहब्बतपुर	12	6.000	8.000	14.000	65
5	मूडरा सागर	4	2.000	3.000	5.000	127
6	मुरारिया	6	2.000	4.000	6.000	115
7	शहरखेडा	8	3.000	5.000	8.000	80
8	छिरारी	4	2.000	2.000	4.000	90
9	टिमरौली	6	3.000	3.000	6.000	81
10	टोंकरा	2	2.000	3.000	5.000	73
11	घुटआ	2	1.000	1.000	2.000	75
12	मुरवास	5	2.000	3.000	5.000	85
13	इस्लाम नगर	3	2.000	2.000	4.000	58
14	रतनगढ	6	2.000	3.000	5.000	114
15	वरखेडा घूस	12	6.000	6.000	12.000	75
16	घरगा	30	10.000	15.000	25.000	74
17	सगडा	8	3.000	4.000	7.000	74

18	आमखेडा	12	4.000	6.000	10.000	101
19	बलरामपुर	8	3.000	4.000	7.000	87
20	चंदपुरा	2	1.000	1.000	2.000	78
21	जटपुरा	2	1.000	1.000	2.000	125
22	मण्डी बामौरा	2	2.000	2.000	4.000	150
23	खताखेडी	0	7.000	8.000	15.000	145
24	इगरवाडा	16	8.000	10.000	18.000	117
25	वर्धा	14	6.000	9.000	15.000	125
26	तिन्सयाई	11	5.000	10.000	15.000	140
27	बडेरा	5	2.000	3.000	5.000	110
28	पाली	18	8.000	9.000	17.000	157
29	बमौरी	4	5.000	2.000	7.000	128
30	सुगनाखेडी	8	3.000	4.000	7.000	90
31	वरुआखार	7	6.000	3.000	9.000	129
32	वांसखेडी	4	4.000	2.000	6.000	130
33	तीतर बरौ	3	1.600	1.000	2.600	135
34	महोटी	1	0.400	1.000	1.400	75
35	पिपरिया जाजोन	1	10.000	30.000	40.000	126
	योग	242	130.000	176.000	306.000	

केन्द्र-कोलारस(कोलारस एवं बदरवास तह.), जिला-शिवपुरी

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	हरिपुर	7	1.500	16.400	17.900	142
2	केलदार	3	0.700	0.600	1.300	117
3	झाडेल	2	1.300	1.200	2.500	95
4	पिपरौदा	2	0.000	0.700	0.700	187
5	पचावला	1	0.000	0.300	0.300	145
6	रामगढ	1	0.700	0.000	0.700	126
7	पारागढ	5	3.300	17.600	20.900	146
8	सिगरौदा	1	0.000	0.300	0.300	167
9	वागरौद	1	0.000	0.200	0.200	180
10	आकुरसी	1	0.200	0.000	0.200	160
11	पायगा	10	2.000	0.300	2.300	147
12	बृहत्याना	1	0.000	0.700	0.700	156
13	पडौर	1	0.000	0.000	0.000	115
14	रन्नौद	3	0.800	0.500	1.300	126
15	वांसखेडी	1	0.000	0.300	0.300	144
16	गिलटौर	1	0.000	0.200	0.200	130
17	गुरुकदवाया	1	0.200	0.200	0.400	135
18	इन्दार	1	0.000	0.200	0.200	132
19	बीजरीचक्क	1	0.000	0.200	0.200	137
20	मथना	1	0.000	0.300	0.300	140
	योग	45	10.700	40.200	50.900	

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, Dated the 19th November 2013

No. B-1066-I-7-3-2013-Pt.-I.—In partial modification of the Registry Notification No. B-5564 dated 03 November 2012 & C/256 Jabalpur dated 09th January 2013, the 25th November 2013 Monday is declared as “Holiday” for Main Seat Jabalpur, Benches at Indore/Gwalior with their respective Registries and the Subordinate Courts on account of “Vidhan Sabha Election 2013”.

By Order of the Hon'ble the Acting Chief Justice
S. D. DUBEY, Principal Registrar (Ins. & Vig.)

जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

क्र. C-7925-दो-2-38-2006.—श्री वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19-03-21-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2013

क्र. C-7952-दो-2-119-2006.—श्री शम्भू दयाल दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं सतर्कता), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19-03/21-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए प्रदान की जाती है।

क्र. C-7949-दो-2-20-2006.—श्री के. एस. ठाकुर, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण एवं सतर्कता), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2013

क्र. C-8107-दो-2-50-2009.—श्री ए. के. जैन, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)

19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2013

क्र. A-4090-दो-2-69-2000.—श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 28 सितम्बर 2013 से 01 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 04 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द मोहन खरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4094-दो-2-53-2009.—श्री एम. पी. एस. अरोरा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 20 सितम्बर 2013 से 01 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 12 दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4096-दो-2-21-2005.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 05 अक्टूबर 2013 से दिनांक 09 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

से 10 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. C-8304-दो-2-53-2007.—श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीन, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 30 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 से 10 नवम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-8310-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 अक्टूबर 2013 तक के तथा पश्चात् में दिनांक 27 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-8316-दो-3-44-2013.—श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 22 से 26 सितम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पी. रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं। तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-8289-दो-2-30-2012.—श्री पी. एस. कुशवाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 09 से 23 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पन्द्रह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-8291-दो-3-43-2013.—श्रीमती मीना सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 09 से 11 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. C-8293-दो-3-44-2013.—श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 30 सितम्बर से 05 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पी. रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-5099-दो-2-103-2006.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 01-11-2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6001-दो-2-21-2005.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 25 अक्टूबर 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6003-दो-2-48-2013.—श्री पी. के. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 11 नवम्बर 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 से 10 नवम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6005-दो-3-44-2013.—श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 05 से 12 सितम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पी. रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-6007-दो-3-47-2003.—श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6009-दो-2-43-2013.—श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 04 से 07 अक्टूबर 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08 से 11 अक्टूबर 2013 तक चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 से 16 अक्टूबर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6011-दो-2-15-2012.—श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को दिनांक 03 से 05 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 अक्टूबर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 06 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6014-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 07 से 11 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 अक्टूबर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 12 से 16 अक्टूबर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-6016-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 08 से 11 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-6020-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 03 से 05 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 अक्टूबर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 06 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-6024-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 29 अगस्त से 20 सितम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेईस दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2013

क्र. 1244-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
1	श्री सनत कुमार कश्यप, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अनूपपुर.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 1247-गोपनीय-2013-दो-3-88-2013.— उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश श्रीमती नेहां श्रीवास्तव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छतरपुर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन “श्रीमती नेहा श्रीवास्तव”, पति “श्री अंकित श्रीवास्तव” करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2013

क्र. 1308-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
1	श्री महेश कुमार शर्मा, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2013

क्र. A-4088-दो-2-49-2013.— श्री के. के. शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश/ओ.एस.डी. (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को दिनांक 11 नवम्बर 2013 से 20-11-2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 से 10 नवम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश/ओ.एस.डी. (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अपर जिला न्यायाधीश/ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-4092-दो-3-59-2003.— श्री एस. के. साहा, रजिस्ट्रार (ई), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 30 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. साहा, रजिस्ट्रार (ई), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. साहा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (ई), के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 24 अक्टूबर 2013

प्र.क्र. 1-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	मेहगांव (महगावां) प.ह.नं. 9, नं. बं. 107.	0.32	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर सं. क्र. 1, कटनी.	बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 2-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	खरखरी प.ह.नं. 8, नं. बं. 25.	23.65	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर सं. क्र. 1, कटनी.	बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 3-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजय राघवगढ़	बम्हनगवां प.ह.नं. 13, नं. बं. 97.	3.44	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर सं. क्र. 1, कटनी.	बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	देवरी मझगवां प.ह.नं. 13, नं. बं. 270.	3.03	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर सं. क्र. 1, कटनी.	बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 5-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये

प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	गुड़गुडौहां प.ह.नं. 13, नं. बं. 455.	7.287	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर सं. क्र. 1, कटनी.	बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	बरा प.ह.नं. 14, नं. बं. 68.	5.930	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर सं. क्र. 1, कटनी.	बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	रावतपुरा	4.68	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र.-9 दतिया (म. प्र.).	खर्वाघाट मध्यम सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	भागोर	10.672	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र.-9 दतिया (म. प्र.).	खर्वाघाट मध्यम सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	अगोरा	5.47	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र.-9 दतिया (म. प्र.).	खर्वाघाट मध्यम सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	दुर्गापुर	2.59	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र.-9, दतिया (म. प्र.).	खरांघाट मध्यम सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन्, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2013

प्र. क्र. 01-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर में निजी भूमि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बड़ामलहरा	मनकारी	1.300	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बिजावर.	बिलाई नाला फीडर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

भू-अर्जन के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) निजी भूमि	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बड़ामलहरा	महाराजगंज	1.500	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बिजावर.	बिलाई नाला फीडर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

भू-अर्जन के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2013

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 1-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	नेपानगर	रहमानपुरा	37.21	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर	घमनपुरा तालाब योजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.
		घाघरला	31.92		
		डालमहू	0.88		
		नावारा	0.39		
योग . .			70.40		

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवरस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	बखतरी	निजी भूमि रकबा 9.340 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.334 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 9.674 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 002-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	कुलुवा	निजी भूमि रकबा 14.443 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.236 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 14.679 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 003-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	घटारी	निजी भूमि रकबा 0.808 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 0.808 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 004-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	देवरी	निजी भूमि रकबा 10.889 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.110 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 11.999 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 005-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	भगेपुर	निजी भूमि रकबा 4.608 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 4.608 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 006-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	रनवाहा	निजी भूमि रकबा 209.168 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 23.449 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	देवरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 232.617 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 007-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	अहिरगवां	निजी भूमि रकबा 47.375 है। एवं शासकीय भूमि रकबा 10.675 है।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बिलखुरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 58.050 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 010-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	बिलखुरा	निजी भूमि रकबा 71.118 है। एवं शासकीय भूमि रकबा 17.000 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बिलखुरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 88.118 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्र. 2384-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर	नैकिन पटेहरा	1.56	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	रामपुर वितरक नहर की पटेहरा सब-माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं	(1)	(2)
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	435	0.01
	442	0.032
सीधी, दिनांक 20 अगस्त 2013	456	0.01
	468	0.05
पत्र क्र. 1745-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस	469	0.015
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)	476	0.02
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की	495	0.14
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन	496	0.05
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा- 6 के	498	0.045
अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त	499	0.05
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	500	0.02
	617	0.05
अनुसूची	618	0.02
(1) भूमि का वर्णन—	626/1	0.04
(क) जिला—सीधी	626/2	0.04
(ख) तहसील—गोपद बनास	626/3	0.04
(ग) नगर/ग्राम—कुबरी	626/4	0.09
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.316 हेक्टेयर	627	0.05
	630	0.030
	633/2	0.04
खसरा नम्बर	650	0.04
	651	0.04
(1)	653	0.01
	776	0.04
137	787	Nil
159	792	0.05
160	795	0.10
185	835	0.04
186	837	0.04
301	839	0.045
305	851	0.05
308	875	0.04
309	890	0.03
310	926	0.07
311	927	0.03
352	928	0.04
358	929	0.05
372	988	0.01
373	989	0.03
403	1044	0.165
412	1046	0.16
433	1070	0.05
434		

(1)	(2)	(1)	(2)
1082/1	0.015	1926	0.03
1082/2	0.015	1991	0.02
1082/3	0.015	1997	0.14
1082/4	0.015	2016	0.10
1110	0.04	2018	0.02
1263	0.05	2025	0.03
1288	0.05	2033	0.075
1317	0.065	2035	0.10
1323	0.06	2079	0.010
1326	0.10	2081	0.08
1401	0.019	2085	0.014
1422	0.04	2086	0.01
1423	0.04	2097	0.05
1434	0.04	2098	0.05
1435	0.045	2099	0.05
1436	0.02	2121	0.10
1438	0.075	2126	0.08
1442	0.032	2131	0.24
1443	0.05	2132	0.03
1450	0.035	2142	0.204
1481/2	0.06	2143	0.05
1483	0.05	2144	0.675
1484	0.05	2152	0.11
1485	0.08	2153	0.16
1489	0.03	2162	0.156
1614	0.15	2166	0.09
1616	0.025	2168	0.08
1617	0.03	2170	0.02
1620	0.05	2171	0.02
1621	0.15		
1622	0.165		
1624	0.135		
1625	0.132		
1846	0.06		
1847	0.65		
1870	0.16		
1883	0.01		
1884	0.16		
1892	0.01		
1893	0.08		
1894	0.16		
1925	0.032		
			योग . . . 8.316

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(1) (2)

शिवपुरी, दिनांक 22 अक्टूबर 2013

क्र. भू-अर्जन-2012-13-1375.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा- 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—करैरा

(ग) नगर/ग्राम—बडौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—189.70 हेक्टर अशासकीय भूमि.

खसरा नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

409

0.420

417/1

0.220

417/2/1

0.290

417/2/2

0.380

429

1.120

430/मिन-1

0.250

430/मिन-2

0.050

431

0.820

449

0.620

450

0.840

452/1/2

0.500

452/1/3

0.500

452/1/5

1.000

453

0.460

454

0.120

464

0.320

465

0.240

467

0.200

472

0.300

473/1

0.280

473/2

0.300

474

0.400

476/1/1

0.470

524/1

0.170

524/2

0.190

524/3

0.060

526/1/4

0.020

526/1/5

0.670

526/1/6

0.600

526/1/7

0.580

531

0.060

534

0.710

535

1.960

537/1

1.100

537/2

0.390

538/1

0.900

538/2/1

0.850

538/2/2

1.000

539/1

1.200

539/2/1

1.600

539/2/2

1.150

540/1

1.400

540/2

1.200

540/3/1

1.900

540/3/2

1.000

540/3/3

1.420

541

0.610

542/1

1.250

543

1.850

544

0.660

545

0.640

546

1.030

547

1.010

554/1

0.260

554/2

0.380

555

1.550

556

2.020

557

0.110

559

2.280

560

1.940

561

0.510

563

0.320

564

0.420

570

0.030

(1)	(2)	(1)	(2)
572/1	0.400	704/1	0.200
572/2	0.640	704/2	0.320
574	0.410	706	0.760
575	0.600	707	0.190
577	0.220	708	0.110
580/1	0.270	709	0.280
580/2	0.380	710	0.140
581/1	0.470	711	0.240
581/2	0.070	712	0.600
582	0.220	714	0.320
586	1.060	715	0.200
587	0.300	716	0.840
588	0.460	718	0.580
589	1.120	719	0.310
590	0.020	720	0.350
591	0.060	721	0.510
678/1	0.130	723	0.170
678/2	0.880	724	0.410
679	0.730	724/मिन-1	0.220
681	0.600	725	0.610
682	0.310	726	0.320
683/1	0.320	727	0.310
683/2	0.880	728	0.120
683/3	0.010	729/1	0.340
686	0.110	729/2	0.090
687/मिन-1	0.210	730	0.090
687/मिन-2	0.200	732	0.150
688	1.120	733/1	0.200
689	0.090	733/2	0.260
690	1.040	734	0.030
691	0.790	735	0.030
692	0.600	737	1.180
693	0.210	738	0.210
694	0.850	739	0.740
696	0.420	740	0.210
697	0.310	741	0.120
698	0.390	742	0.110
699	0.390	743	0.220
700	1.130	744	0.180
701	0.310	745	0.190
702/1	0.150	746	0.100
702/2	0.350	747	0.050
703/1/2	1.000	748	0.190
703/2	1.600	749	0.550

(1)	(2)	(1)	(2)
751	0.200	786/2	0.700
753/1	0.210	788	0.080
753/2	0.400	789	0.220
754	0.670	790	0.240
755	0.320	792	0.010
756	0.300	793/1	0.120
758	0.300	793/2	0.040
759/1	0.130	793/3	0.040
759/2	0.300	793/4	0.040
760	1.150	793/5	0.320
761	0.600	793/6	0.380
763	2.020	793/7	0.700
764/1	0.900	794	0.490
765/1/1	0.780	795	0.450
765/1/2	0.780	796	0.980
765/1/3	0.770	797	0.900
765/2	0.710	798	0.480
765/मिन/2	0.760	799	0.650
766	0.120	800	0.120
767	0.170	801	0.350
768	0.830	807/1	0.120
769	0.730	807/2	0.320
770/1	0.630	808	0.800
770/2	0.630	809	0.270
770/3/1	0.560	810	0.370
770/3/2	0.280	811	1.120
771	0.230	812/1/1	0.040
772	0.700	812/1/2	0.050
773	0.790	812/2	0.090
774	0.470	812/3	0.080
775	1.850	812/4	0.090
776/1	0.010	812/5/1	0.060
776/2	0.380	812/5/2	0.030
776/3	0.370	813	0.230
776/4	0.370	814	0.230
777	0.080	815/1	0.130
778	1.650	815/2	0.140
779	0.280	816/1	0.230
780	0.670	816/2	0.110
781	0.110	817	0.180
782	0.140	818	1.930
783	0.170	819/1	0.100
785	0.310	819/2	0.100
786/1	0.580	820	0.620

(1)	(2)	(1)	(2)
821	0.060	923	0.860
822	0.050	924	0.470
823	0.100	925	0.190
824	0.090	926	0.100
825	0.820	927	0.050
826	0.800	929/1	0.070
827	0.220	935	0.110
833	0.270	936	0.100
836	0.090	937	0.070
839	1.510	938	0.070
840	0.720	939	0.060
862	0.230	946	0.030
863	0.230	948	0.150
866	0.510	950	0.150
867	0.280	951/1	0.270
868	0.290	951/2	0.270
869	0.350	952	0.070
871	0.090	953	0.090
872	0.080	955	0.580
873	0.200	956/1	0.070
874	0.190	956/2	0.080
875	0.140	957	0.070
876	0.140	958	0.040
877	0.730	959	0.080
878	0.330	960	0.070
879	0.250	961	0.070
880	0.200	962	0.070
881	0.190	963	0.150
882	0.220	964	0.300
884/1/1	0.210	965	0.150
884/1/2	0.100	974	0.030
884/2	0.120	975	0.150
884/3	0.110	976	0.110
886	0.680	977	0.030
887	0.460	978	0.260
888	0.250	981	0.040
890	0.100	982	0.050
891	0.190	983	0.110
892	0.220	984	0.120
893	0.100	985	0.130
917	0.050	986	0.130
918	0.150	987	0.240
919	0.110	988/1	0.150
920	0.170	988/2	0.120

(1)	(2)	(1)	(2)
989/1	0.180	2172/2	0.350
989/2	0.320	2173	0.180
1796	0.090	2174/1	0.120
2138/1	0.090	2174/2	0.130
2139	0.570	2175	0.360
2140/1	0.300	2176	0.030
2140/2	0.300	2177	0.510
2142	0.400	2178	1.150
2143	0.290	2179/1	0.150
2144/1	0.210	2179/2	0.200
2145/2	0.180	2180	1.090
2146/1	0.360	2181	0.110
2146/2	0.370	2182	0.770
2146/3	0.370	2183	0.320
2147/2/1	0.080	2184/1	0.240
2147/2/2	0.100	2184/2	0.050
2148	1.000	2185	1.140
2149	0.570	2186	0.350
2150	0.210	2187/1	0.120
2151/1/1	0.620	2187/2	0.150
2151/2	0.850	2188	1.010
2151/3/1	0.150	2189	1.310
2152/1	0.010	2190/1	0.650
2152/2	0.800	2190/2	0.570
2153	0.430	2191/1	2.210
2154	0.070	2191/2	0.610
2155/1	0.430	2192/1	0.390
2155/2	0.420	2192/2	0.590
2156	0.390	2193/1	0.590
2157	0.800	2193/2	0.180
2159	2.060	2194	0.740
2160	1.650	2195/1	0.090
2161/1	1.350	2195/2	0.750
2161/2	0.590	2196	0.740
2162/1	0.080	2197	0.160
2162/2	0.070	2198	0.100
2167	0.750	2199/1	0.110
2168	0.560	2199/2	0.340
2169/1	0.830	2200/1	0.440
2169/2	0.830	2200/2	0.230
2169/3	0.830	2202	0.440
2170	0.070	2203/1	0.230
2171	0.330	2203/3	0.500
2172/1	0.340	2208	0.050

(1)	(2)	(1)	(2)
2209	0.290	9	0.32
2210	0.100	20	0.50
2216	1.100	21	0.42
2217	0.170	22	1.00
2218	1.540	119	0.10
2219/1	0.470	121	0.31
2273	0.630	122	0.18
2275/1	0.230	337	0.05
2275/2	1.000	338	0.15
2286/2	0.190	340	0.07
2290	0.600	342	1.32
2291	0.200	343	0.11
2292/2	0.470	344	0.70
2293	0.140	345	0.15
2294	0.300	354/1	0.60
योग :	189.700	354/2	0.60
		354/3	1.74
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.		355/1	0.60
		355/2	0.23
		355/3	0.10
		356	0.23
शिवपुरी, दिनांक 30 नवम्बर 2013		357	0.97
		358	8.05
क्र. भू-अर्जन-2012-13-692.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा- 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-		359	3.59
		360	1.57
		361	0.24
		362	0.09
		363	0.19
		365	3.68
		460	0.25
		492	3.68
		493	1.04
		495	0.11
		496	0.81
		497	0.34
		500	2.20
		517	4.27
		519	1.83
		520	1.73
		521	3.88
		522	0.33
		523	0.08
		524	1.17
		551	0.19
		योग :	55.32
खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
3	2.73		
6	2.38		
8	0.44		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 09/अ-82/12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की जूनापानी नहर परियोजना के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मन्दसौर
(ख) तहसील—शामगढ़
(ग) ग्राम—बासखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.400 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
21	0.400
	योग : 0.400

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जूनापानी नहर परियोजना हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है।

ईश्यू क्र. 94-प्र.क्र. 10/अ-82/2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मन्दसौर
(ख) तहसील—सीतामऊ
(ग) ग्राम—पारली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.510 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
267	0.070
266 मिन 2	0.070
266 मिन 3	0.070
266 मिन 4	0.070
266 मिन 5	0.070
264	0.070
174	0.050
173	0.040
	योग : 0.510

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रहीमगढ़ तालाब की नहर हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीतामऊ, जिला मन्दसौर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष 2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया

जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

	(1)	(2)	(3)
अनुसूची	4747	0.081	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—	4748	0.299	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना	4749	0.024	निजी भूमि
(ख) तहसील—अमानगंज	4754	0.129	निजी भूमि
(ग) ग्राम—महेबा	4757	0.040	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—91.155 हेक्टेयर.	4758	0.040	निजी भूमि
खसरा नम्बर	4759/1	0.381	निजी भूमि
अर्जित रकबा	4759/3	0.190	निजी भूमि
(हेक्टेयर में)	5729	0.160	निजी भूमि
भूमि का प्रकार	5730	0.081	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	
4724/2	0.800	निजी भूमि	4743
4725	0.330	निजी भूमि	4744
4780/1	0.077	निजी भूमि	5604
4772/2ख	0.090	निजी भूमि	5619/3
4780/2	0.077	निजी भूमि	5624
5121/1	0.243	निजी भूमि	5637
5121/2ख	0.081	निजी भूमि	5657/3
4772/1अ/2	0.105	निजी भूमि	5665
5101	0.081	निजी भूमि	5671/1
4772/1अ/1	0.105	निजी भूमि	5675
4740	0.030	निजी भूमि	5676
4741/2	0.142	निजी भूमि	5677
4742	0.025	निजी भूमि	5679
5712/1	0.085	निजी भूमि	5703/2
5713	0.243	निजी भूमि	5705/2
5714	0.008	निजी भूमि	5755
5715	0.146	निजी भूमि	5799/2
5693	0.065	निजी भूमि	5710/2
5694	0.089	निजी भूमि	4751
5696	0.040	निजी भूमि	5602/1अ
5698	0.049	निजी भूमि	5618/1
5699	0.073	निजी भूमि	5619/1
5700	0.121	निजी भूमि	5663
5722	0.138	निजी भूमि	5767
5724	0.057	निजी भूमि	5767
5746/2	1.376	निजी भूमि	5630
4741/1	0.174	निजी भूमि	5684
5756	0.032	निजी भूमि	5709/2
5757	0.299	निजी भूमि	5741
5758	0.057	निजी भूमि	5743/1
5759	0.081	निजी भूमि	5744/1
5760	0.178	निजी भूमि	5586/1
5761	0.016	निजी भूमि	4752
5754	0.040	निजी भूमि	4756
5797	0.105	निजी भूमि	5124
4745	1.238	निजी भूमि	5126/2
4746	0.121	निजी भूमि	5721
			4753
			4755

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
5720/1	0.134	निजी भूमि	5606/2	0.041	निजी भूमि
5748/2	0.534	निजी भूमि	5607/2	0.243	निजी भूमि
5749/2	0.065	निजी भूमि	5608	0.097	निजी भूमि
5752	0.186	निजी भूमि	5609/2	0.291	निजी भूमि
5766/1	0.117	निजी भूमि	5114/3	0.100	निजी भूमि
5658	0.332	निजी भूमि	5113	0.030	निजी भूमि
5688	0.219	निजी भूमि	5114/1	0.900	निजी भूमि
5720/2	0.133	निजी भूमि	5117	0.640	निजी भूमि
4759/2	0.190	निजी भूमि	5119	0.291	निजी भूमि
4761	0.016	निजी भूमि	5130	0.186	निजी भूमि
4762	0.016	निजी भूमि	5115	0.243	निजी भूमि
4763	0.299	निजी भूमि	5131	0.971	निजी भूमि
4764	0.478	निजी भूमि	5593	0.291	निजी भूमि
4766	0.024	निजी भूमि	5122/1	0.332	निजी भूमि
4767	0.049	निजी भूमि	5123	0.024	निजी भूमि
4769	0.073	निजी भूमि	5125	0.032	निजी भूमि
4770	0.397	निजी भूमि	5126/1	0.554	निजी भूमि
4774	0.032	निजी भूमि	5127	0.105	निजी भूमि
4775	0.575	निजी भूमि	5128	0.024	निजी भूमि
4776	0.283	निजी भूमि	5610	0.160	निजी भूमि
4777	0.664	निजी भूमि	5512	1.711	निजी भूमि
4778	0.251	निजी भूमि	5513	0.081	निजी भूमि
4780/6068	0.308	निजी भूमि	5514/1	0.943	निजी भूमि
4782	0.080	निजी भूमि	5514/2	0.942	निजी भूमि
4771/1	0.745	निजी भूमि	5515/1	0.202	निजी भूमि
4771/2	0.081	निजी भूमि	5515/2	0.203	निजी भूमि
4771/3	0.113	निजी भूमि	5568	0.081	निजी भूमि
4771/4	0.065	निजी भूमि	5569	1.538	निजी भूमि
5695	0.049	निजी भूमि	5570	0.316	निजी भूमि
5725	0.024	निजी भूमि	5571	0.194	निजी भूमि
5747/1	0.085	निजी भूमि	5569/6074	0.202	निजी भूमि
4772/1अ/3	0.233	निजी भूमि	5516	2.080	निजी भूमि
4772/1ख	0.129	निजी भूमि	5517	0.243	निजी भूमि
4772/2क	0.097	निजी भूमि	5518	0.943	निजी भूमि
5121/2क	0.081	निजी भूमि	5519	0.100	निजी भूमि
4781	0.324	निजी भूमि	5522	0.100	निजी भूमि
4784	0.600	निजी भूमि	5524/1	0.060	निजी भूमि
4783	0.648	निजी भूमि	5524/2	0.060	निजी भूमि
5102	0.332	निजी भूमि	5525/1	0.070	निजी भूमि
5103	0.154	निजी भूमि	5525/2	0.070	निजी भूमि
5110	0.073	निजी भूमि	5525/3	0.025	निजी भूमि
5111	0.121	निजी भूमि	5526/1	0.045	निजी भूमि
5112	0.089	निजी भूमि	5526/2	0.045	निजी भूमि
5114/2	0.459	निजी भूमि	5527	0.160	निजी भूमि
5120	0.388	निजी भूमि	5528	0.154	निजी भूमि
5122/2	0.332	निजी भूमि	5549/1	0.070	निजी भूमि
5580	0.219	निजी भूमि	5549/2	0.070	निजी भूमि
5581	0.057	निजी भूमि	5734/1	0.027	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
5734/3	0.027	निजी भूमि	5723	0.372	निजी भूमि
5566/1	0.049	निजी भूमि	5726	0.073	निजी भूमि
5575/1	0.027	निजी भूमि	5727	0.032	निजी भूमि
5575/3	0.027	निजी भूमि	5728	0.154	निजी भूमि
5618/2	0.004	निजी भूमि	5731	0.049	निजी भूमि
5635/2क	0.054	निजी भूमि	5132	0.243	निजी भूमि
5635/2ख	0.054	निजी भूमि	5573/2	0.546	निजी भूमि
5635/2ग	0.054	निजी भूमि	5574	0.129	निजी भूमि
5703/1क	0.004	निजी भूमि	5578	0.049	निजी भूमि
5703/1ग	0.003	निजी भूमि	5579	0.291	निजी भूमि
5704/1	0.035	निजी भूमि	5587/2	0.046	निजी भूमि
5704/3	0.035	निजी भूमि	5588/2	0.413	निजी भूमि
5705/1क	0.027	निजी भूमि	5576	0.454	निजी भूमि
5705/1ग	0.026	निजी भूमि	5577	0.065	निजी भूमि
5706/1	0.019	निजी भूमि	5602/1ख	0.375	निजी भूमि
5706/3	0.019	निजी भूमि	5603/1	0.061	निजी भूमि
5709/1क	0.026	निजी भूमि	5605	0.016	निजी भूमि
5709/1ग	0.029	निजी भूमि	5635/1	0.162	निजी भूमि
5710/1क	0.049	निजी भूमि	5657/1	0.327	निजी भूमि
5710/1ग	0.050	निजी भूमि	5662	0.291	निजी भूमि
5742/1	0.057	निजी भूमि	5669	0.040	निजी भूमि
5738/1	0.005	निजी भूमि	5670	0.227	निजी भूमि
5738/2	0.005	निजी भूमि	5707	0.081	निजी भूमि
5738/3	0.005	निजी भूमि	5708	0.089	निजी भूमि
5742/2	0.057	निजी भूमि	5743/2	0.050	निजी भूमि
5742/3	0.056	निजी भूमि	5744/2	1.052	निजी भूमि
5660/1	0.097	निजी भूमि	5753	0.049	निजी भूमि
5660/3	0.097	निजी भूमि	5582	0.008	निजी भूमि
5567/1	0.404	निजी भूमि	5583	0.202	निजी भूमि
5567/2	0.405	निजी भूमि	5586/2	0.458	निजी भूमि
5567/3	0.405	निजी भूमि	5587/1	0.046	निजी भूमि
5566/2	0.049	निजी भूमि	5588/1	0.412	निजी भूमि
5566/3	0.048	निजी भूमि	5587/3	0.070	निजी भूमि
5575/2	0.027	निजी भूमि	5588/3	0.413	निजी भूमि
5660/2	0.097	निजी भूमि	5589	0.024	निजी भूमि
5703/1ख	0.003	निजी भूमि	5590	0.413	निजी भूमि
5704/2	0.035	निजी भूमि	5591	0.040	निजी भूमि
5705/1ख	0.026	निजी भूमि	5594/1	0.729	निजी भूमि
5706/2	0.019	निजी भूमि	5595	0.057	निजी भूमि
5709/1ख	0.030	निजी भूमि	5598	0.162	निजी भूमि
5710/1ख	0.050	निजी भूमि	5592	1.254	निजी भूमि
5734/2	0.027	निजी भूमि	5594/2	0.728	निजी भूमि
5572	0.121	निजी भूमि	5596/2	0.334	निजी भूमि
5573/1	0.425	निजी भूमि	5597	0.073	निजी भूमि
5584	0.024	निजी भूमि	5599	0.146	निजी भूमि
5585	0.405	निजी भूमि	5600	0.024	निजी भूमि
5711	0.219	निजी भूमि	5601	0.235	निजी भूमि
5712/2	0.085	निजी भूमि	5602/2	0.355	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
5603/2	0.060	निजी भूमि	5733	0.024	निजी भूमि
5671/2क	0.078	निजी भूमि	5736	0.065	निजी भूमि
5671/2ख	0.078	निजी भूमि	5737	0.356	निजी भूमि
5671/2ग	0.078	निजी भूमि	5702	0.057	निजी भूमि
5606/1	0.040	निजी भूमि	5678	0.008	निजी भूमि
5607/1	0.243	निजी भूमि	5680	0.040	निजी भूमि
5609/1	0.227	निजी भूमि	5686	0.372	निजी भूमि
5625	0.049	निजी भूमि	5691/1	0.133	निजी भूमि
5626	0.170	निजी भूमि	5691/2	0.133	निजी भूमि
5627	0.016	निजी भूमि	5717	0.429	निजी भूमि
5628	0.138	निजी भूमि	5719	0.470	निजी भूमि
5629	0.138	निजी भूमि	5735/1	0.124	निजी भूमि
5619/2ख	0.070	निजी भूमि	5735/2	0.124	निजी भूमि
5619/2ग	0.071	निजी भूमि	5735/3	0.124	निजी भूमि
5619/2क	0.071	निजी भूमि	5739	0.032	निजी भूमि
5631	0.140	निजी भूमि	5750	0.032	निजी भूमि
5633/1	0.038	निजी भूमि	5751	0.040	निजी भूमि
5633/2	0.038	निजी भूमि	5740	0.186	निजी भूमि
5633/3	0.037	निजी भूमि	5745	0.105	निजी भूमि
5634	0.097	निजी भूमि	5746/1	1.376	निजी भूमि
5636	0.138	निजी भूमि	5747/2	0.085	निजी भूमि
5651	0.987	निजी भूमि	5748/1	0.534	निजी भूमि
5652	0.518	निजी भूमि	5749/1	0.064	निजी भूमि
5653	0.952	निजी भूमि	5762	0.105	निजी भूमि
5654	0.769	निजी भूमि	5763	0.024	निजी भूमि
5655	0.680	निजी भूमि	5764	0.057	निजी भूमि
5768/1	0.320	निजी भूमि	5766/2	0.118	निजी भूमि
5769	0.162	निजी भूमि	5765	0.097	निजी भूमि
5772	0.243	निजी भूमि	5768/2	0.683	निजी भूमि
5773	0.324	निजी भूमि	5770	0.494	निजी भूमि
5659	0.340	निजी भूमि	5649	0.858	निजी भूमि
5667/2	0.222	निजी भूमि	5771	0.073	निजी भूमि
5657/2	0.277	निजी भूमि	5774	0.930	निजी भूमि
5799/1	0.190	निजी भूमि	5775	0.032	निजी भूमि
5661	0.308	निजी भूमि	5776	0.380	निजी भूमि
5667/1	0.223	निजी भूमि	5777	0.081	निजी भूमि
5672	0.299	निजी भूमि	5781	0.243	निजी भूमि
5673	0.065	निजी भूमि	5782	0.502	निजी भूमि
5674	0.057	निजी भूमि	5783	0.138	निजी भूमि
5682	0.040	निजी भूमि	5784	0.186	निजी भूमि
5683	0.049	निजी भूमि	5786	0.235	निजी भूमि
5687	0.372	निजी भूमि	5787	0.987	निजी भूमि
5689	0.154	निजी भूमि	5788	0.462	निजी भूमि
5690	0.235	निजी भूमि	5789	0.065	निजी भूमि
5692	0.073	निजी भूमि	5790	0.648	निजी भूमि
5697	0.024	निजी भूमि	5791	0.049	निजी भूमि
5701	0.049	निजी भूमि	5792	0.462	निजी भूमि
5732	0.324	निजी भूमि	5793	0.040	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—बांधीकला	(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.400 हैक्टेयर.		
			खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	
			(1)	(2)	(3)	
5794	0.494	निजी भूमि				
5795	0.283	निजी भूमि				
5796	0.481	निजी भूमि				
5808	0.300	निजी भूमि				
5809	0.100	निजी भूमि	271/1	0.090	निजी भूमि	
5778	0.583	निजी भूमि	104	0.170	निजी भूमि	
5779	0.049	निजी भूमि	30/1क	0.080	निजी भूमि	
5780	0.105	निजी भूमि	28	0.060	निजी भूमि	
5810/1	0.055	निजी भूमि	30/1ख	0.280	निजी भूमि	
5814/1	0.200	निजी भूमि	34/1	0.320	निजी भूमि	
5810/2	0.055	निजी भूमि	36	1.200	निजी भूमि	
5814/2	0.200	निजी भूमि	41/1	0.100	निजी भूमि	
5813/1	0.647	निजी भूमि	42/2	1.100	निजी भूमि	
5813/2	0.648	निजी भूमि	43/1क	0.140	निजी भूमि	
5819/1	0.340	निजी भूमि	50/1	0.080	निजी भूमि	
5785	1.202	निजी भूमि	44/1	1.550	निजी भूमि	
5823	0.100	निजी भूमि	44/2	1.520	निजी भूमि	
5824	0.100	निजी भूमि	45/1	0.290	निजी भूमि	
4781/6069/1	0.923	निजी भूमि	46/1	0.030	निजी भूमि	
4781/6069/2	0.250	निजी भूमि	47/2क	0.210	निजी भूमि	
5647	0.316	निजी भूमि	49/1	0.880	निजी भूमि	
5596/1	0.395	निजी भूमि	40/1	0.240	निजी भूमि	
योग ..	91.155		52/1	0.110	निजी भूमि	
			71/1	0.040	निजी भूमि	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सेमरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.			72/1	0.110	निजी भूमि	
			659	0.020	निजी भूमि	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है.			37/2क	0.350	निजी भूमि	
			37/3	0.400	निजी भूमि	
			145	0.600	निजी भूमि	
			146	0.620	निजी भूमि	
			152	0.350	निजी भूमि	
			155	0.130	निजी भूमि	
			257/3	0.330	निजी भूमि	
			257/4	0.230	निजी भूमि	
			551/1क	0.100	निजी भूमि	
			651/1	0.120	निजी भूमि	
			652	0.040	निजी भूमि	
			653	0.040	निजी भूमि	
			655/1क	0.120	निजी भूमि	
			679/1	0.090	निजी भूमि	
(1) भूमि का वर्णन—			628	0.530	निजी भूमि	
(क) जिला—पन्ना			629	0.240	निजी भूमि	
(ख) तहसील—अमानगंज			632	0.940	निजी भूमि	
			657	0.190	निजी भूमि	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
658	0.210	निजी भूमि	1753	0.020	निजी भूमि
105	0.150	निजी भूमि	1754	0.097	निजी भूमि
	योग . . 14.400		1843	0.002	निजी भूमि
			1844	0.094	निजी भूमि
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—डोभा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.		1942	0.029	निजी भूमि
			1845	0.085	निजी भूमि
			1846	0.067	निजी भूमि
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है.		1847	0.018	निजी भूमि
			1848	0.023	निजी भूमि
			1849	0.050	निजी भूमि
			1856	0.210	निजी भूमि
			1857	0.085	निजी भूमि
			1858	0.049	निजी भूमि
			1859	0.078	निजी भूमि
			1950	0.040	निजी भूमि
			1951	0.011	निजी भूमि
			1954	0.030	निजी भूमि
			1955	0.010	निजी भूमि
			1956	0.131	निजी भूमि
			1949	0.010	निजी भूमि
			1957	0.073	निजी भूमि
			1958	0.004	निजी भूमि
			1959	0.337	निजी भूमि
			1966	0.369	निजी भूमि
			योग . .	3.215	

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—बरबसपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.215 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1671/2	0.250	निजी भूमि
1672	0.052	निजी भूमि
1677	0.100	निजी भूमि
1681	0.005	निजी भूमि
1682	0.112	निजी भूमि
1683	0.032	निजी भूमि
1741	0.138	निजी भूमि
1742	0.069	निजी भूमि
1757	0.008	निजी भूमि
1752	0.176	निजी भूमि
1758	0.218	निजी भूमि
1835	0.100	निजी भूमि
1836	0.032	निजी भूमि
1838	0.001	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—डोभा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 004-अ-82-वर्ष 2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा- 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—नचनौरा		(1)	(2)	(3)	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—24.25 हैक्टेयर.		1544/3	0.12	निजी भूमि	
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
		1546	0.02	निजी भूमि	
		1547	0.45	निजी भूमि	
		1548/1	0.51	निजी भूमि	
		1548/2	0.50	निजी भूमि	
1273	0.05	निजी भूमि	1549	0.49	निजी भूमि
1275	0.33	निजी भूमि	1550	0.03	निजी भूमि
1276	0.09	निजी भूमि	1551	0.03	निजी भूमि
1277	0.10	निजी भूमि	1552	0.54	निजी भूमि
1278	0.08	निजी भूमि	1554	2.00	निजी भूमि
1279	0.05	निजी भूमि	1555	0.20	निजी भूमि
1280	0.02	निजी भूमि	1557	0.20	निजी भूमि
1281	0.20	निजी भूमि	1558	0.24	निजी भूमि
1312	0.15	निजी भूमि	1559	0.37	निजी भूमि
1313	0.05	निजी भूमि	1560	0.20	निजी भूमि
1314	0.11	निजी भूमि	1561	0.20	निजी भूमि
1315	0.11	निजी भूमि	1562	1.30	निजी भूमि
1317	0.05	निजी भूमि	1563	0.03	निजी भूमि
1318	0.05	निजी भूमि	1564	0.36	निजी भूमि
1319	0.07	निजी भूमि	1565	1.30	निजी भूमि
1466	2.50	निजी भूमि	1567	0.51	निजी भूमि
1467	0.11	निजी भूमि	1468	0.05	निजी भूमि
1468/1	0.11	निजी भूमि	1569	0.40	निजी भूमि
1468/2	0.25	निजी भूमि	1570	0.38	निजी भूमि
1469	0.40	निजी भूमि	1571	0.03	निजी भूमि
1470	0.15	निजी भूमि	1572	0.87	निजी भूमि
1471	0.07	निजी भूमि	1573	0.30	निजी भूमि
1472	0.25	निजी भूमि	1574	0.03	निजी भूमि
1473	0.25	निजी भूमि	1575	0.18	निजी भूमि
1474	0.08	निजी भूमि	1576	0.16	निजी भूमि
1475	0.32	निजी भूमि	1577	0.33	निजी भूमि
1476	0.18	निजी भूमि	1578	0.12	निजी भूमि
1477	0.80	निजी भूमि	1579	0.10	निजी भूमि
1532	0.50	निजी भूमि	1580	0.14	निजी भूमि
1533/1	0.15	निजी भूमि	1581	0.03	निजी भूमि
1533/2	0.15	निजी भूमि	1582	0.28	निजी भूमि
1534	0.04	निजी भूमि	1583	0.16	निजी भूमि
1535	0.02	निजी भूमि	1584	0.23	निजी भूमि
1537	0.30	निजी भूमि	1618	0.18	निजी भूमि
1538	0.22	निजी भूमि	1619	0.11	निजी भूमि
1540	0.02	निजी भूमि	1621	0.25	निजी भूमि
1541	0.04	निजी भूमि			
1542	0.26	निजी भूमि			
1543/1	0.05	निजी भूमि			
1544/1	0.06	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1622	0.05	निजी भूमि	805/2	0.190	निजी भूमि
1623/1	0.09	निजी भूमि	807	0.630	निजी भूमि
1623/2	0.09	निजी भूमि	817/2	0.380	निजी भूमि
1624	0.31	निजी भूमि	812	1.050	निजी भूमि
1625	0.18	निजी भूमि	817/1	0.150	निजी भूमि
1626	0.25	निजी भूमि	781	0.090	निजी भूमि
1627	0.16	निजी भूमि	879	0.040	निजी भूमि
1628	0.40	निजी भूमि	880/1	0.360	निजी भूमि
योग . .	<u>24.25</u>		867	0.500	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नचनौरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.			866	1.270	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है.			800	0.780	निजी भूमि
प्र. क्र. 005-अ-82-वर्ष 2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			827	1.000	निजी भूमि
			829/1	0.260	निजी भूमि
			811	2.000	निजी भूमि
			878	0.300	निजी भूमि
			894	0.264	निजी भूमि
			801/1	0.290	निजी भूमि
			814/1	0.150	निजी भूमि
			816/2	0.300	निजी भूमि
			801/2क	0.150	निजी भूमि
			801/2ख	0.150	निजी भूमि
			798	0.570	निजी भूमि
			815	0.600	निजी भूमि
			911	0.080	निजी भूमि
			802	0.610	निजी भूमि
			799	0.560	निजी भूमि
			808	0.170	निजी भूमि
			809	0.660	निजी भूमि
			810	1.020	निजी भूमि
			829/2	0.640	निजी भूमि
			872	0.200	निजी भूमि
			874	0.410	निजी भूमि
			868	0.250	निजी भूमि
			870	0.520	निजी भूमि
			871	0.030	निजी भूमि
			869	0.160	निजी भूमि
			योग . .	<u>20.734</u>	
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(2)		
(1)	(2)	(3)			
875	0.630	निजी भूमि			
814/2	0.150	निजी भूमि			
816/1	0.300	निजी भूमि			
830	0.180	निजी भूमि			
831	0.200	निजी भूमि			
834	0.200	निजी भूमि			
837	0.700	निजी भूमि			
838	0.410	निजी भूमि			
839	0.560	निजी भूमि			
840	0.370	निजी भूमि			
805/1	0.250	निजी भूमि			
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.					
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है.					
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द्र गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.					

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—शमशाबाद

(ग) ग्राम—खजूरी शमशाबाद

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.499 हेक्टेयर.

सर्वे	रकबा
नंबर	(हे. में.)
(1)	(2)

14/1	0.031
17/1/1	0.153
26	0.082
25	0.118
24	0.051
21/2	0.162
20	0.027
34/1/1	0.090
62	0.045
50/2	0.102
51/2	0.050
51/5	0.050
121	0.121
124/1/क/2	0.086

(1)	(2)
124/1/ख/2	0.090
123	0.100
148	0.040
147	0.145
220/1/क	0.040
220/2	0.070
219/1	0.157
218/1/1/क	0.080
218/1/1/ख	0.100
213	0.110
120/1	0.021
124/2	0.090
12	0.027
214/1	0.060
219/2	0.040
149	0.027
223	0.085
260	0.081
261/1	0.048
261/2	0.050
261/3	0.048
356	0.135
360/1	0.064
360/2/2	0.074
360/2/1	0.027
361/1	0.157
362/2/1	0.429
362/2/2	0.040
362/Min-1	0.020
366/1	0.033
योग . . .	<u>3.656</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23-अ-82-2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—शमशाबाद

(ग) ग्राम—पिपलधार

(घ) लगभग क्षेत्रफल 6.628 हेक्टर.

सर्वे रकबा
नंबर (हे. में.)

(1) (2)

631/2/1 0.105

630/1 0.045

627/1 0.115

628/1/2 0.180

628/1/1 0.180

585 0.311

618 0.234

619 0.022

622/1 0.080

616/2 0.605

616/3 ब 0.070

616/4 0.277

613/1 0.140

613/2 0.140

612 0.310

604 0.191

605/2 0.162

626/1 0.188

1142/1/2 0.160

1143 0.180

(1) (2)

1144/1/2 0.237

1144/2 0.145

1144/3 0.095

393/3 0.010

395/1/1 0.015

574/3 0.270

577 0.010

567 0.425

565/1/1/घ/2 0.400

460 0.015

10 0.045

750/2 0.040

752 0.121

753 0.100

755 0.173

756 0.098

757/2 0.080

751/1/1 0.084

621 0.045

892 0.027

995/1क 0.084

696 0.021

382/1 0.288

1131/3 0.105

1142/1/2 0.270

योग . . . 6.628

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्र. 2997-भू-अर्जन-2013 .—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली

(ख) तहसील—सरई

(ग) नगर/ग्राम—पिड़रा, प.ह.नं.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.52 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

460/1

1.02

460/2

0.06

462/1

0.42

462/2

0.23

462/3

0.24

462/4

0.24

462/5

0.20

462/6

0.20

463

0.14

465

0.06

468/1

0.17

468/2

0.16

468/3

0.16

469

0.79

472

0.15

474

0.36

476

0.44

483

0.36

484

0.35

486/1

0.04

486/2

0.04

(1)	(2)
486/3	0.03
486/4	0.03
487	0.20
488	0.20
489	0.20
490	0.52
491	0.16
492	1.02
493/1	0.04
493/2	0.04
493/3	0.04
493/4	0.04
493/5	0.04
494/1	0.08
494/2	0.08
494/3	0.08
494/4	0.08
494/5	0.07
495	0.07
496	0.21
497	0.10
499	0.10
500	0.30
502	0.21
506/1	0.18
506/2	0.18
506/3	0.19
506/4	0.19
506/5	0.19
511	0.64
512	0.18
योग . . .	<u>11.52</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मर्की-बरका भूमिगत कोल ब्लॉक इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु. भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—हरद्वार

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—6.858 हे.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
360/5	0.213
359/2	0.208
358	0.239
342/1/2/1	0.104
342/2/2	0.166
342/1/1	0.265
339	0.145
338	0.090
311	0.078
312	0.108
313/क	0.084
313/ख	0.084
314/2	0.192
317	0.204
316	0.264
315	0.144
302/1	0.288
296/1/1/1	0.252
296/1/1/2	0.150
296/1/1/3	0.402
296/3	0.239

(1)	(2)
296/7	0.060
360/1/1/5	0.006
360/1/1/26	0.030
360/1/1/4/3	0.460
360/1/1/4/2	0.200
26/6/1	0.180
227/1	0.150
359/1	0.104
359/3	0.104
138/1	0.027
137/2	0.005
137/1/2	0.038
137/1/3क	0.130
136/1/10/3	0.030
136/1/7	0.126
136/1/5	0.110
136/1/1/2/2	0.015
129/8	0.036
129/10क	0.089
129/10ग	0.060
129/3/2	0.120
129/3/1	0.077
129/1	0.144
31/1/1/2	0.110
79	0.072
80/2	0.118
77/3	0.099
76/1	0.067
76/2	0.042
76/3	0.024
91/1	0.010
68	0.096
योग . . .	<u>6.858</u>

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.